TITLE CODE : UPHIN49731
हिंदी मासिक पत्रिका

बसावन इंडिया

वर्ष : 1, अंक : 01 आजमगढ़ • जुलाई 2021 • मूल्य : ₹30

गैर ब्राह्मण भी होंगे मंदिर में पुजारी

इलाहाबाद से प्रयागराज के पथ पर

भारतीय लोकतंत्र में क्षेत्रीय राजनीति

बस्तर की तुपकी

जनगणना में जाति से परहेज क्यों?

संपादकीय

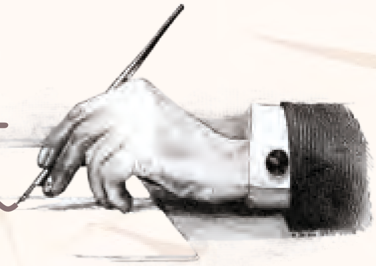

बसावन इंडिया क्यों ?

मानवता की विकास यात्रा मूलतः बसनें व उजड़नें की ही यात्रा रही है। यात्रा में अनेकों, पहाड़, पठार, खड्ड, समंदर, मैदान, जंगल, झील नदी आदि पड़ते हैं। पढ़ना और लिखना इसमें महत्वपूर्ण पड़ाव तो है ही, लेकिन जब से प्रिंट की तकनीक / माध्यम आया है तब से मानवता की यात्रा में चार चाँद लगे और मानवता ने लंबी छलांगे भी लगाना शुरू कर दिया।

इसी बसावन प्रक्रिया को श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों के साथ समझने-पढ़ने और अभिव्यक्ति देने के लिए बसावन इंडिया मासिक पत्रिका सहकारी प्रयास के रूप में आप सबके सामने है। इसमें कई युवा साथ आकर हाथ बढ़ा कर बसावन इंडिया को आगे ले चलने का प्रयास कर रहे हैं। इस टीम का प्रयास होगा कि बसावट की प्रक्रिया को दुनिया के श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों के पैमाने पर विश्लेषण के साथ समाचारों और विचारों को अपने पाठकों तक प्रस्तुत करें। लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, मानवीय गरिमा की प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और समता के परिपेक्ष में मानव और मानवता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों, घटनाओं और कहानियों को सिलसिलेवार, क्रमबद्ध और सुसंगठित तरीके से प्रस्तुत हो सके, इसके लिए देश के हर राज्य में बसावन इंडिया नेटवर्क विकसित करने का प्रयास होगा। इसको चलाने के लिए संसाधन जुटाने का प्रयास यथासंभव लोगों के बीच जा कर यानी मैगजीन की सदस्यता और उसकी बिक्री से किया जाएगा। सहकारी प्रयास से लोगों के बीच जाकर मैगजीन को आगे ले जाने में बसावन इंडिया टीम आप सबसे सहयोग की अपेक्षा सहित पहले अंक के साथ आपके सामने हाजिर है।

बसावन इंडिया टीम

TITLE CODE : UPHIN49731
आजमगढ़ (उ.प्र.) ▪ माह- जुलाई
सन् - 2021 ▪ वर्ष - 1 ▪ अंक - 01

बसावन इंडिया

संपादक
नरेन्द्र प्रताप

सह-सम्पादक
डॉ. नरेश कुमार साहू

प्रबंध सम्पादक
अरविंद कुमार यादव

कंटेंट एडिटर
डॉ. प्रमोद कुमार
आरती रानी प्रजापति
बिनिका दुर्गम
कमलेश यादव
मैत्रेयी सिंह

ब्यूरो प्रमुख
दिल्ली एनसीआर - अतुल कुमार
लखनऊ - देशराज
बिहार - आलोक नाथ 'भंटू'
छत्तीसगढ़ - गणेश सोनकर
मध्यप्रदेश - तेजबहादुर
महाराष्ट्र - आकाश खोब्रागड़े
राजस्थान - डॉ. कालूलाल कुलमी
प्रयागराज - धैर्य मित्र सिंह
कानपुर - सुनील कुमार सुनील

विधिक सलाहकार
अमरजीत चक्रवर्ती
रविशंकर यादव

डिजाइन एंड ले-आऊट
इरफान खान
+91 9329960007

संपादकीय कार्यालय
31 शहीद द्वारा, आजमगढ़
उत्तरप्रदेश पिन - 276 001
संपर्क : +91 9453171770
Email : basavanindia@gmail.com

संपादक : नरेन्द्र प्रताप
स्वत्वाधिकार, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री नरेन्द्र प्रताप के लिए स्वाभिमान प्रकाशन, शहीद द्वारा (सिविल लाईन) आजमगढ़ से मुद्रित कराकर 'बसावन इंडिया' हिंदी मासिक पत्रिका का कार्यालय 31 शहीद द्वार आजमगढ़ उत्तरप्रदेश - 276 001

इस अंक की झलकियां

गैर-ब्राह्मण भी होंगे मंदिर में पुजारी - स्टालिन सरकार का फैसला 02
राजनीतिक पार्टियों का सवर्ण गाथा 13
राजनीति की राहें सुकून भरी तो न थी, राजस्थान की राजनीतिक परिघटना 15
अर्जकों के श्रम पर मौज उड़ाते है अनर्जक : रामस्वरुप वर्मा 18
केंद्र व इलाहाबाद विवि की उदासीनता, पंत छात्रावास की बदहाल स्थिति 20
इलाहाबाद के 10 नए अड्डे 24
आखिर थमता क्यों नही : किसान आंदोलन 25
बस्तर की तुपकी 28
क्या हर गोलियों पर लिखा है, नक्सलियों का नाम? 29
पढ़ाई लिखाई का नया अंदाज 31
कोरोना संकट एवं मानवता 33

05 **जातीय जनगणना से परहेज क्यों?** जनगणना कोई लोक कल्याण का कार्यक्रम नहीं है यह देश के लोगों...

10 **भारतीय लोकतंत्र में क्षेत्रीय राजनीति** – स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम आम चुनाव से लेकर चौथे आम चुनाव तक भारत संघ राज्य और...

16 **ताकि कन्हैया आता रहे...** हम अपना घर स्वच्छ और बहुत सुंदर रखना चाहते हैं। घर के बाहर प्रवेश...

21 **इलाहाबाद से प्रयागराज के पथ पर** जब कोई शहर आबाद होता है तो इलाहाबाद होता है...

इस अंक में प्रकाशित सामग्री के आंशिक या पूर्ण रुप से पुनर्प्रकाशन के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य है। लेखक के विचार व्यक्तिगत हैं। प्रकाशित सामग्री में दिए गए तथ्य संबंधी विवादों का पूर्ण दायित्व लेखक का है। संपादक, मुद्रक, प्रकाशक एवं सहयोगी संपादकीय टीम इसके लिए हरगिज उत्तरदायी नहीं होंगे। किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान हेतु न्याय क्षेत्र आजमगढ़ होगा।

गैर-ब्राह्मण भी होंगे मंदिर में पुजारी
स्टालिन सरकार का फैसला

अब गैर-ब्राह्मण भी होंगे मंदिर में पुजारी, संस्कृत के बजाय अब तमिल में भी होगी पूजा, जल्द ही 200 गैर- ब्राह्मण पुजारियों की होगी नियुक्ति

▪ *डॉ. नरेश कुमार साहू*

▪ *डॉ. ए सेंथिल कुमार*

तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति के फैसले ने सियासी से ज्यादा सामाजिक हलचल तेज कर दी हैं। इस घोषणा ने भारतीय वर्ण व जातीय व्यवस्था की नींव हिलाकर सीधे साँप के बिल में हाथ डालने का काम किया हैं। इस फैसले से तमिलनाडु भाजपा जमकर विरोध कर रहा है साथ ही स्टालिन सरकार बनाम भाजपा व पुरोहितवाद में देश भर में सीधे तकरार देखने को मिल रहा हैं।

ज्ञातव्य हो कि बीते जून माह के प्रथम पखवाड़े में ही तमिलनाडु के स्टालिन सरकार ने यह घोषणा कर दिया कि 100 दिनों में 200 गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी। इस फैसले में यह कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार 100 दिन का शैव अर्चक कोर्स शुरू करेगा, इस कोर्स में करने के बाद कोई भी गैर ब्राह्मण पुजारी बन सकता हैं। उक्त नियुक्ति तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडामेंट डिपार्टमेन्ट (एचआर एंड सीई) के अधीन आने वाले 36000 मंदिरों में होंगी, साथ ही यह बताया गया है, कि आने-वाले कुछ ही दिनों में 70-100 गैर ब्राह्मण पुजारियों की पहली लिस्ट जारी होगी। तमिलनाडु सरकार के मंत्रालय के अधीन आने वाले मंदिरों में पूजा तमिल में होगी। इस तरह से देश के इतिहास में पहली बार अब तमिलनाडु के मंदिरों में अब संस्कृत के बजाय तमिल में मंत्रोचरण होगा। अब हिंदू भगवान भी संस्कृत के भाषाई बेरियर को तोड़कर तमिलभाषा में जाप गैर-ब्राह्मण के मुख से सुनेंगे। इस घटना का तमिलनाडु भाजपा द्वारा जमकर विरोध देखने को मिला है। साथ ही देश भर के पुरोहित व दक्षिणपंथी विचार धारा मानने वाले जमकर विरोध कर रहें हैं।

स्टालिन सरकार के गैर-ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति के फैसले से अलग -अलग राज्य सरकारें हरकत में आ गई है, खासकर के भाजपा शासित राज्यों में ये घबराहट तेज हो चली है कि कहीं उनके राज्यों में भी अलग -अलग सामाजिक संगठनों द्वारा कहीं तमिलनाडु सरकार की फैसले वाली मांग न उठ जाए। इसी हड़बड़ी में कर्नाटक सरकार स्पष्ट कर दिया है कि तमिलनाडु व केरल सरकार द्वारा गैर-ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति जैसे फैसला नहीं लिया जाएगा।

अगर यहाँ भी ऐसे ही नियुक्ति होती तो यहाँ भी संस्कृत के बजाय कन्नड़ में गैर -ब्राह्मण पुजारी पूजा करते, अगर देश भर अलग-अलग राज्यों की सरकार तमिलनाडु की सरकार की फैसले को लागू करते तो क्या महाराष्ट्र में मराठी में,केरल में मलियालम में, तेलंगाना व आंध्रप्रदेश में तेलगु में, ओड़ीसा में ओडिया में,बंगाल में बंगाली में, बिहार में भोजपुरी में, उत्तर-प्रदेश में अगर संस्कृत के बजाय स्थानीय भाषा में पूजा की जाएगी तो पुजारी क्या हिंदी में, अवधी में या भोजपुरी में होगी यह बड़ी रोचक होगी। संस्कृत से स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाएगा अनुवादकों की नियुक्ति की जाएगी! प्रकाशन का कार्य भी किया जाएगा। वेदों सहित अलग- अलग भगवानों की आरती-महाआरती, बहुत सारे पुराण, सत्यनारायण आदि की कथा भी अलग-अलग स्थानीय भाषाओं में किया जाएगा!

वैसे तो तमिलनाडु, पेरियार रामस्वामी नायकर के कारण ही सामाजिक आंदोलन की पृष्ठभूमि पहले से ही रहा है। स्टालिन सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के पूर्व में भी पेरियार रामास्वामी नायकर को आदर्श मानने वाले पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि ने अपने कार्यकाल में 02 दिसंबर 1970 को तमिलनाडु विधानसभा में अभूतपूर्व कानून पारित किया, जिसमें पुरोहित कार्य में वंशवाद की परंपरा की समाप्ति के साथ ही यह कहा कि हिंदू धर्म के किसी भी जाति का व्यक्ति पुरोहित बन सकता है, और भगवान का कर सकता है। किंतु विरोधियों द्वारा इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। जिसमें कोर्ट का फैसला आया जिसमें यह कहा कि इस कानून का प्रथम हिस्सा पुजारी में वंशवाद की समाप्ति पर अपनी मुहर लगाते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान की लेकिन इस कानून के दूसरे हिस्से को नकार दिया गया। पेरियार को आदर्श मानने वाले एम.करुणानिधि हार मानने वाले नहीं थे। वर्ष 2006 में पुनः सत्ता में काबिज होते ही 23 मई 2006 को फिर से इस संबंध में नए कानून विधानसभा में लाया गया और तमिलनाडु विधानसभा द्वारा इसे पारित भी करा लिया गया। इस कानून के मुताबिक गैर-ब्राह्मण समुदाय की पुरोहित या पुजारी प्रशिक्षण प्राप्त कर पुजारी का कार्य कर सकता है। तात्कालिन सरकार ने इस विधेयक के पारित होते ही उसे हकीकत में लाने हेतु राज्य में 06 जगहों पर पुरोहित प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया,जिसमें गैर ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर प्रशिक्षण कार्य पूर्ण किया। दो बार विधानसभा में पारित कानून को फिर से विरोधियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। जिसका निर्णय 2015 को आया जिसके अनुसार जन्म के आधार पर उत्थान और पतन की सराहना नहीं की जानी चाहिए। प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात पुजारियों को मंदिर के मुख्य पुजारी के पद पर स्थापित होने पूर्ण अधिकार है। 207 लोगों ने पुरोहित प्रशिक्षण प्राप्त किया जिसमें गैर ब्राह्मण मारिचमीको मदुरै मंदिर में पुजारी काम करने का आदेश मिला,इस तरह से प्रशिक्षण प्राप्त गैर-ब्राह्मण पुजारी नियुक्ति का इंतजार कर रहें हैं।

तमिनाडु के स्टालिन सरकार द्वारा गैर-ब्राह्मणों पुजारियों की नियुक्ति एवं संस्कृत के बजाय तमिल में पूजा करने के फैसले को लेकर उत्तर भारत के सामाजिक चिंतक, पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता के प्रतिक्रिया आई है जिसे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है-

बीरेंद्र मौर्या

*अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष **बीरेंद्र मौर्या** ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारा संविधान अंधविश्वास मिटाने की बात करता है। जो ब्राह्मणवादी सोंच के हैं वो एक रास्ता निकाल दे रहे है कि आप भी उसी में खपे रहो। इससे पहले भी श्रीराम शर्मा के गायत्री परिवार में ऐसा करते थे उनका उद्देश्य होता है कि जिस गाँव में जिस जाति का बाहुल्य होता था, जैसे कुर्मियों का गाँव या अनुसूचित जातियों के गाँव में उसी जाति के एक व्यक्ति को ट्रेंनिंग दे कर रख देते थे, तब ये कहने को हो जाता था कि कोई ब्राह्मण तो नहीं कर रहा है पूजा-पाठ। मकसद था आडंबर और ढोंग को खत्म करना, आडंबर ढोंग को खत्म करने के बजाए ढोंग का एक नया पैटर्न खड़ा कर दे रहे हो। लोंगों में से कुछ नए ढोंगी वहाँ बैठा दे रहे हो, तो आप उसी मनुवाद को मजबूत कर रहे हो। अगर हमको पुजारी बना दिया जाए तो क्या हम मौर्या से द्विवेदी हो जाएंगे। हमारी रीति -रिवाज, शादी ब्याह सब मौर्या में ही होगा। जो जिस जाति वर्ग में है तो वह वहीं रहेगा, नामकरण मात्र कर देने से उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। नाम राष्ट्रपति रख भर देने से कोई रामनाथ कोविंद नहीं हो जाएगा। उत्तरप्रदेश का मुख्यमंत्री धार्मिक व्यवस्था में अपरकास्ट के होने के कारण राष्ट्रपति को प्रणाम भी नहीं करता है। हमारे संवैधानिक पद पर प्रमुख होने के बावजूद उनको प्रणाम नहीं करते क्योंकि वो जाति व्यवस्था में बहुत नीचे पायदान पर है। दलित जाति के व्यक्ति को आप चाहे मंदिर की पुजारी बना ही दो, मुझे नहीं लगता इससे कोई जाति-वयवस्था खत्म होने वाली है।* ■

प्रो. डॉ. अमरनाथ पासवान

__प्रो. डॉ. अमरनाथ पासवान__ जो कि सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशी नीति अध्ययन केंद्र, सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के प्रोफेसर हैं, उनका मानना है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा गैर-ब्राह्मण पुजारियों नियुक्ति के साथ संस्कृत के बजाय तमिल भाषा में पुजारियों पूजा किए जाने के फैसले के कदम को साहसिक एवं सराहनीय बताया, उन्होने बताया कि स्टालिन के एजेंडे में शुरू से यह रहा है कि वंचित तबको को न्याय मिले। बड़े बदलाव सामाजिक, धार्मिक व ऐतिहासिक घोषणा दक्षिण भारत के नेता करते रहें हैं। इन नेताओं के पास अपना विजन होता है इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरी माद्दा से इस तरह के बड़े फैसले लेते रहें हैं।लेकिन उत्तर भारत के नेताओं में आत्मविश्वास की कमी व साहस देखने को मिलता है जिसके फलस्वरूप ऐसे फैसले देखने को नहीं मिलता हैं। कांशीराम के आंदोलन के परिणामस्वरूप बसपा के शुरुआती सामाजिक फैसले बड़े अच्छे होते थे बाद आत्मविश्वास की कमी देखने को मिली। बिहार में लालू प्रसाद यादव द्वारा पटना के एक हनुमान मंदिर में गैर- ब्राह्मण पुजारी नियुक्त किया गया था जिसे जनता ने भी हाथों हाथ नहीं लिया। आगे डॉ. पासवान कहते हैं कि वंचित तबकों को मंदिर जाने से रोका गया हैं, संविधान निर्माण के बाद जिसमें डॉ. अंबेडकर द्वारा मौलिक अधिकार दिए जाने के बावजूद बीते कुछ वर्ष पहले ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी व उत्तराखंड में भाजपा के एक दलित सांसद को भी मंदिर जाने से रोका गया। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ भी भेदभाव का मामला सामने आया था। जो कि ये बताता है कि भारतीय सामाजिक संरचना कितना जटिल है। वह कहते हैं कि सभी वंचित तबका जिसमें दलित, पिछड़े व आदिवासी समुदाय सर्वाधिक आध्यात्मिक है जिसका लाभ ब्राह्मणवाद को मिलता हैं। जहां ये वंचित तबका हट रहें हैं वहाँ फिर से लेना जाना उचित नहीं है। दलित,पिछड़े व आदिवासी समुदाय के लिए अपना एक आस्था का केंद्र पैरलल खड़ा करना होगा। मंदिर जाने वाले मार्ग को बुद्ध के ज्ञान से जोड़ना होगा तभी उत्तर भारत सहित देश भर के वंचित तबके में सामाजिक, धार्मिक व बौद्धिक चेतना का विकास होगा। तभी समाज तर्कशील व वैज्ञानिकता से संपन्न होकर समता मूलक समाज बन पाएगा।▪

दिलीप मंडल

वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक चिंतक दिलीप मंडल ने लिखा है कि बीजेपी गैर ब्राह्मणों को पूरा हिंदू नहीं मानती। बीजेपी का ये भी कहना है कि देवी - देवताओं को तमिल में समझ नहीं आती। इसलिए तमिल में पूजा नहीं हो सकती। तमिलनाडु सरकार कह रही है कि तमिलनाडु के देवता तमिल जानते हैं। क्या आपके देवता आपकी भाषा जानते हैं। या उनको केवल सिर्फ संस्कृत समझ आती हैं।▪

धर्म और पुरोहित का नया रूप क्या हो ?

पुरोहिताई के विषय में डॉ.अंबेडकर इन्हिलेशन आफ कास्ट के 24वें चैप्टर में विचार व्यक्त किए हैं डॉ. अंबेडकर के अनुसार -

1. यह बहुत अच्छा होगा यदि हिंदुओं के पुरोहित पेशे यानी पुरोहिताई को समाप्त ही कर दिया जाए। लेकिन यह असंभव लगता है इसलिए पुरोहिताई में वंश परंपरा को जरूर बंद कर देना चाहिए। हर मनुष्य जो हिंदू होने का दावा करता है उसे पुरोहित बनने का अधिकार होना चाहिए। यह कानून होना चाहिए कि कोई हिंदू तब तक पुरोहित नहीं बन सकेगा जब तक सरकार द्वारा निर्धारित परीक्षा पास नहीं कर लेगा और जब तक उसके पास पुरोहिताई करने के लिए सरकार से मिला प्रमाण-पत्र, सनद या लाइसेंस नहीं होगा।
2. जिस पुरोहित के पास लाइसेंस या प्रमाण-पत्र, सनद नहीं होगा उसका सम्पन्न कराया हुआ कोई भी रिवाज, संस्कार या धार्मिक अनुष्ठान अवैध गैर काननी माना जाए और जिसके पास सनद नहीं हो उसके लिए पुरोहित का काम दंडनीय अपराध माना जाए।
3. पुरोहित सरकार का कर्मचारी होना चाहिए और सामान्य नागरिकों की तरह देशके नागरिक कानून के अधीन होने के साथ राज्य सेवकों की तरह वे अपने आचरण,विश्वास और पूजा के मामले में सरकार के अनुशासन के अधीन होना चाहिए।
4. इंडियन सिविल सर्विस अफसरों की तरह पुरोहितों की संख्या भी सरकार द्वाराजरूरत के अनुसार तय कर सीमित होनी चाहिए। ▪

मो.-9921110844

जनगणना में जाति से परहेज क्यों?

जाति जनगणना की उपयोगिता -

जनगणना कोई लोक कल्याण का कार्यक्रम नहीं है यह देश के लोगों को बेहतर तरीके से समझाने का माध्यम है, जाति आधारित जनगणना से विभिन्न जातियों को समझने में मददगार होगी। केंद्रीय योजनाओं का लक्षित फायदा मिलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आरक्षण कब तक का जबाब स्वतः ही मिल जायेगा। अभी तक सवर्णों को लगता है आरक्षण से उनके हित प्रभावित हो रहे है, ओबीसी, एसटी, एससी एवं अल्पसंख्यक ठगा महसूस कर रहा है कि आजादी के लगभग 75 वर्षों के बाद भी शासन सत्ता में उसकी पर्याप्त भागीदारी नहीं है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी की भागीदारी न के बराबर है, जाति आधारित जनगणना एक माध्यम है जो सवर्णों और पिछडों के हितों में संतुलन स्थापित करने का। इससे बिखराव नहीं बल्कि सामाजिक एकता स्थापित होगी।

▪ *नरेन्द्र प्रताप*

माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आरक्षण कब तक? का समाधान करने के लिए जरुरी हो जाता है कि भारत में आरक्षण दिए जा रहे लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की सही सही जानकारी हो। इस जानकारी का सटीक स्रोत जातीय जनगणना ही हो सकता है।

भारत में सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर दिए जा रहे लाभ के लिए 1931 की जातीय जनगणना के आंकड़ें ही है लगभग 90 साल पहले के आंकड़ें तब से अब तक चार से पांच पीढियां बीत गई। बहुत कुछ बदल गया तो फिर जातीय जनगणना के आंकड़ें पुराने क्यों? 2011 में हुई जनगणना में सामाजिक आर्थिक जनगणना तो हुई लेकिन आंकड़ें सार्वजानिक नहीं किये गये। पेड़ पौधे जानवरों की जनगणना होती है पशुओं की गणना में आपको यह पता लग जाता है कि गाय, भैंस, बकरी, भेंड़, ऊंट, घोड़े, गधे तक की वास्तविक संख्या का पता चल जाता हैतो फिर ओबीसी की गणना क्यों नही? मई 2010 को लोकसभा में जाति आधारित जनगणना को लेकर एक आम सहमति बनी। 2021 में होने वाली जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल नहीं किया गया है।

देश में पहली बार मध्यप्रदेश ने सार्वजनिक किए जातिगत जनगणना के आंकड़े

जिसमें 50.09 फीसदी ओबीसी आबादी

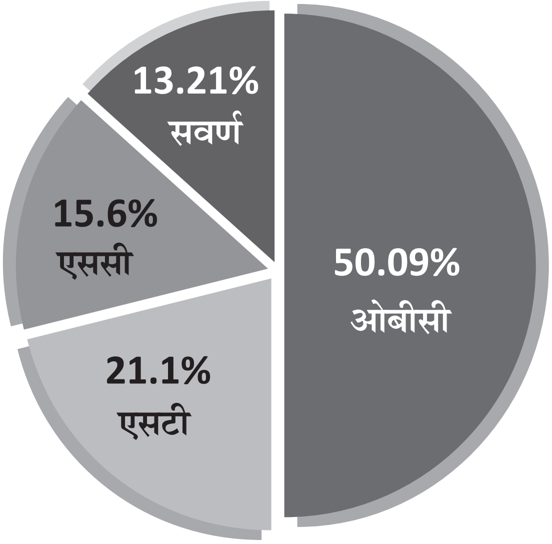

» जाति आधारित जनगणना क्यों जरुरी है ?

जाति भारत की सबसे कड़वी सच्चाई है। अ से ज्ञ तक भारत में हजारों जातियां और उपजातियां है। नृतत्वशास्त्र और संविधान में सामाजिक व्याख्या के लिए अलग अलग मानक हैं।देश में बहुत सी ओबीसी जातियां हैं जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा इनके सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिए चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का समुचित लाभ इन्हें नहीं मिल पाता है। जाति आधारित गणना से उन योजनाओं का समुचित लाभ इस वर्ग के लोगों को मिलेगा सरकार टार्गेटेड रूप से योजनाओं का लाभ दे सकती है। जब सरकार जाति के आधार पर कई कार्यक्रम चला सकती है तो जाति आधारित जनगणना करने में क्या हर्ज है। इससे समाज की एक नई तस्वीर उभरकर आयेगी जिससे सरकार सामाजिक न्याय के एजेंडे को कारगर तरीके से चला सकती है।

अनेक सवर्ण चिंतकों ने जाति आधारित जनगणना का विरोध इस आधार पर करते है कि जाति आधारित जनगणना से वैमनस्य बढ़ेगा, लेकिन उनका यह तर्क निराधार है भारत जटिल जातियों वाला देश है जहाँ विभिन्न जातियों के मध्य एकता है ही नही। शादी विवाह से खान-पान तक जातियों तक सिमटे हुए हुए है। साथ ही साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति की गणना की जाति रही है क्या इसे लेकर देश में कोई कटुता बढ़ी? सच तो यह है कि आजादी के बाद देश में जाति बंधन और अधिक जटिल हुए है। जाति के आधार पर दुष्प्रचार कर एक जाति को दूसरी जाति के रूप में हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरक्षण को सही तरीके से लागू करने के लिए हुए आंदोलन के पश्चात् यादवों के खिलाफ माहौल बनाया गया और अन्य जातियों को उनके खिलाफ भड़काया गए। 86 में 56 यादव एस.डी.एम. का झूठा दुष्प्रचार किया गया। यहाँ तक कि सीबीआई जाँच भी चली लेकिन अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला उनके खिलाफ राजनीतिक माहौल बनाया गया सत्ता पलट हुई। नान यादव नान जाटव के फार्मूले पर आयोग द्वारा की गई भर्तियों में उनके खिलाफ साजिशें की गई। यादवों का डर दिखा कर अन्य ओबीसी जातियों के खिलाफ भी साजिश की गई। बहुतेरी भर्तियों के साक्षात्कार में 'नाट फौण्ड सुटेबल कैंडिडेट की टिप्पणी लिख दी जाती है।

> Tweet
> **Tejashwi Yadav** @yadavtejashwi
> जातीय जनगणना के वास्तविक आँकड़े ज्ञात होने पर ही पता चलेगा कि जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न जातियों के लोग क्या करते है और उनके सामाजिक आर्थिक हालात क्या है? वस्तुस्थिति ज्ञात होने पर ही उनके उत्थान और विकास संबंधित योजनाएँ बनाई जा सकेंगी। #जनगणना_में_OBC_कालम_लागू_करो

> Tweet
> **Dilip Mandal** @Profdilipmandal
> कृपया इस माँग का समर्थन करें। इसके बिना भारत में कोई बड़ा सामाजिक बदलाव संभव नहीं है। आँकड़ों के बिना नीतियाँ बनाना बंद हो। #जाति_जनगणना_लागू_करो

> Tweet
> **Tejashwi Yadav** @yadavtejashwi
> दुर्भाग्य है कि आज भी वंचित वर्गों की राजनीतिक,आर्थिक,सामाजिक हिस्सेदारी उनकी संख्या के अनुपात में नहीं है।आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी से ही देश में एक समान,संतुलित और समुचित विकास संभव है।हमारी माँग रही है कि 2021 की जनगणना में जातीय गणना भी होनी चाहिए

> Tweet
> **urmilesh** @Urmilesh
> NPR, NRC और 2021 की भारतीय जनगणना! इन सब पर गरीब मुल्क के लाखों करोड़ खर्च होंगे! पर जनगणना में ओबीसी की गणना से सरकार का साफ़ इंकार! सत्ताधारी दल में ऊपर से नीचे तक ढेर सारे 'ओबीसी-नामधारी' नेता हैं! पर उन सबकी इस मुद्दे पर चुप्पी क्या कहती है? उन्हें नेता कौन बनाता है?

» फिर जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं ?

जब देश में जाति एक अहम् फैक्टर है तो सवाल यह उठता है जाति आधारित जनगणना क्यों नही? जाति आधारित जनगणना से डर कैसा? गौरतलब है कि एसटी, एससी एवं अल्पसंख्यकों की जनगणना पहले से ही हो रही है तो इसमें ओबीसी को जोड़ देने में क्या समस्या?डर है कि यदि देश में ओबीसी की जनगणना हो गई तो ऐसे ऐसे सामने आएंगे की सवर्ण जातियों की पोल खुल जाएगी। जाति आधारित जनगणना को लेकर सबसे अधिक खतरा सवर्णो को है जिसे लेकर तरह तरह कुतर्क दिए जा रहे है। दलित, पिछड़े नौकरशाही से लेकर सत्ता में अपनी भागीदारी की मांग करने लगेंगे। इनकी एका मजबूत होगी साथ ही ओबीसी की सामूहिक अस्मिता का विकास होगा। शासन तंत्र में दलितों पिछड़ों की हिस्सेदारी बढ़ेगी। देश की 15 प्रतिशत जनसँख्या का 75 प्रतिशत संसाधनों से कब्जाने को लेकर आंदोलन होंगे। मीडिया में एक जाति विशेष के कब्जे को लेकर सवालों के डर से जाति आधारित जनगणना को होने नहीं दिया जा रहा है। ▪

आजमगढ़ जिला पंचायत सदस्यों की जातिवार गणना

▪ *नरेन्द्र प्रताप*

जिला पंचायत सदस्यों की संख्या किसी जिले की रैंडम सैम्पलिंग है की उस जिले की जातीय संरचना कैसी है? यह जिले की जातीय जनगणना का एक स्पष्ट खाका बनता है कि उस जिले में किस जाति का बाहुल्य है ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत की संख्या तो इस ओर संकेत करती है कि उस विशेष क्षेत्र और गाँव में किन जातियों का बाहुल्य है लेकिन जिला पंचायत में सदस्यों की भागीदारी जिले का जातीय संरचना का स्पष्ट चित्र खींच देता है।

आजमगढ़ जिले में जिला पंचायत की कुल 84 सीटें है। 84 सीटों में से 48 सीटों पर ओबीसी जातियों का कब्जा रहा जो 5। फीसदी से अधिक है। जिसमें 33 सीटों पर अहीरों ने अपना कब्जा जमाया। 3-3 सीटों पर कुर्मियों और मुस्लिमों के खाते में गई। 3 सीटों पर लोनिया और 2 सीटों पर केंवट प्रत्यशियों ने जीत दर्ज की। एक-एक सीट पर सुनार, लुहार, भर और कांदू जातियों के लोगों ने जीत दर्ज की।

अनुसूचित जातियों के खाते में 29 सीटें आई,जो साढ़े 34 फीसदी बैठती है। जिसमें से 22 सीट पर चमार जाति के प्रत्याशी जीते। पांच पर पासी और एक-एक सीट पर खटीक और धोबी प्रत्याशी जीतने में सफल रहे। सामान्य वर्ग में। क्षत्रिय जाति के लोग जीतने सफल रहे जबकि जिले में एक भी ब्राहमण प्रत्यशी चुनाव नहीं जीता।

एक तथ्य साफ दिख रहा है कि अहीर और चमार सबसे ज्यादा संख्या में चुनाव जीते हैं। 40 प्रतिशत सीटों पर अहीर तो 25 प्रतिशत सीटों पर चमार जीतें हैं। दोनों जातियों को मिला देने पर 65 प्रतिशत सीटें इनके खाते में आ रही हैं। जिलापंचायत अध्यक्ष चाहे जो भी हो लेकिन जनता ने अपने मतदान से साबित कर दिया कि उन्हें वंचित जमात के प्रतिनिधि चाहिए।

महत्वपूर्ण यह है कि ये प्रतिनिधि चाहे जिसे अपना अध्यक्ष यानि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनें, लेकिन जनता को चुनना हो तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्चस्व वाली जातियों का दबदबा निश्चित रूप से टूटेगा। ▪

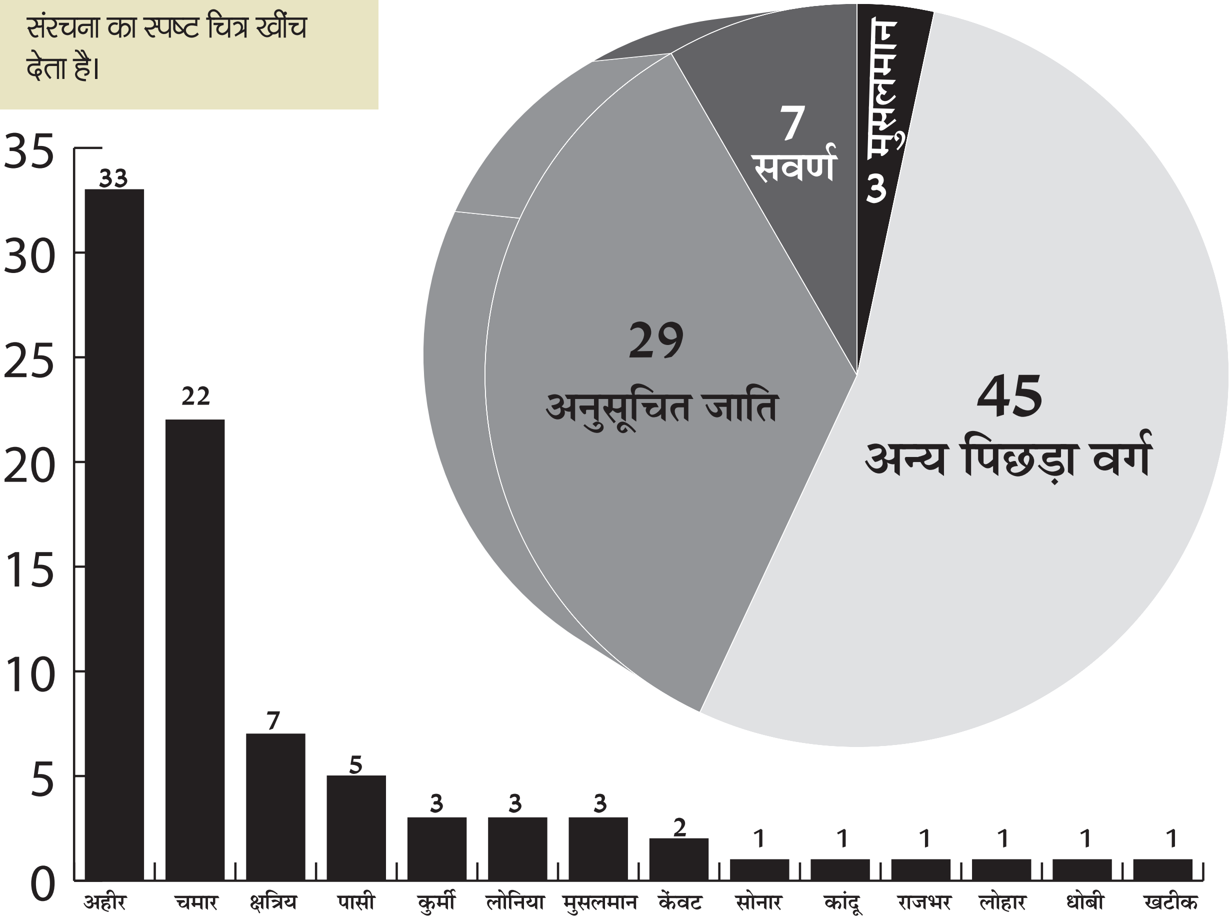

जिला पंचायत आजमगढ़ के सदस्यों की जातिवार संख्या

आजमगढ़ जिले की पवई क्षेत्र पंचायत चुनाव में चुने गए प्रतिनिधियों की जातिवार रिपोर्ट

▪ नरेन्द्र प्रताप

हमारे देश में जातीय जनगणना की मांग लंबे समय से चली आ रही है। इसमें किसकी कितनी भागीदारी या किसी जाति द्वारा दूसरे का हक मारनें की बात को लेकर सवाल उठते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 86 में 56 यादव एसडीएम की फर्जी कहानी से लेकर अहीरों और चमारों द्वारा ज्यादा भाग लेने के आरोप लगते रहें हैं। इसे लेकर बसावन इंडिया ने गहन पड़ताल हेतु आजमगढ़ को सैंपल के तौर पर चुना। इसके लिए 2021 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम और मतदाता सूची को आधार बनाकर जातिवार गणना की गई है।

जिले में त्रिस्तरीय निर्वाचन की प्रक्रिया अप्रैल महीने में संपन्न हुई। आजमगढ़ जिले के पवई विकासखण्ड के लिए चुने गए प्रतिनिधियों के जाति और क्षेत्र में जातीय संख्या और भागीदारी को समझनें में मदद मिलेगी।

आजमगढ़ जिले के पवई विकासखंड में क्षेत्र पंचायत के लिए 106 सीटें हैं। 106 सीटों में से अनुसूचित जाति के 35 प्रतिनिधि चुने गए जो लगभग एक तिहाई यानि 33 प्रतिशत के करीब है। चमार जाति से चुने गये लोगों की संख्या 28 है जो लगभग एक चौथाई से अधिक है। इस वर्ग में दूसरे स्थान पर पासी और धोबी हैं जिन्होंने 3-3 सीटों पर कब्जा जमाया। एक सीट पर खटीक प्रत्याशी ने कब्जा जमाया।

ओबीसी जाति की बात की जाए तो 106 सीटों में से 53 स्थानों पर जीत दर्ज की जो कुल सीटों का 50 प्रतिशत है। अहीर, राजभर, कहांर, केंवट, कोंहार, कुर्मी, कोइरी, लोहार और हलवाई ने जीत दर्ज की। इसमें सबसे बड़ी संख्या अहीरों की है जिनके खाते में 27 सीटें आई जो कुल का 25 प्रतिशत से अधिक है। दूसरा स्थान राजभरों का रहा जिन्होंने 10 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 सीटें कहारों के खाते में आई। 4 सीटों पर केंवट उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। 2-2 सीटों पर कुर्मी और कोंहार काबिज हुए। 1-1 सीटों पर कोइरी, लोहार और हलवाई काबिज हुए।

ब्लाक में क्षेत्र पंचायत की दस सीटों पर मुस्लिम प्रत्यशियों ने जगह बनायीं। जिनमे से आधे से अधिक ओबीसी हैं, इस तरह कुल ओबीसी की संख्या 58 से 60 हो जाती है, जो 60 से 65 प्रतिशत के बीच है। कुल मिलाकर ओबीसी और एससी 85 से 90 प्रतिशत सीटों पर काबिज हो गए हैं ऐसे में एक बात साफ है कि पवई, आजमगढ़ के लोग दलित या पिछड़े को ही अपना प्रतिनिधि चुनना पसंद करते हैं। लेकिन इस चुनाव में महत्वपूर्ण बात यह है कि सवर्णो में ब्राहमण प्रतिनिधि न के बराबर हैं, जबकि क्षत्रिय प्रतिनिधियों की संख्या 08 है जो लगभग साढ़े सात फीसदी बैठती है। इसके आलावा कुछ और जातियां जो संख्या में कम हैं जैसे नाई, गड़ेरिया, मुसहर, माली, खरवार जैसी जाति से कोई प्रतिनिधि नहीं है। इस बारे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधि विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉ. रोशन लाल सोनकर का मानना है कि संविधान और लोकतंत्र के चलते वंचित और पिछड़ी जातियों के लोग 80 से 90 प्रतिशत भागीदारी कर लेते हैं। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जनरल सीटों में 50 प्रतिशत में से 40 प्रतिशत सीटों पर एससी और ओबीसी के लोगों ने जीत दर्ज की है। दिलीप मंडल का मानना है कि वंचित जातियों में इतनी चेतना आ गई है कि वे वोटिंग के समय बहकावे में नहीं आते हैं। ▪

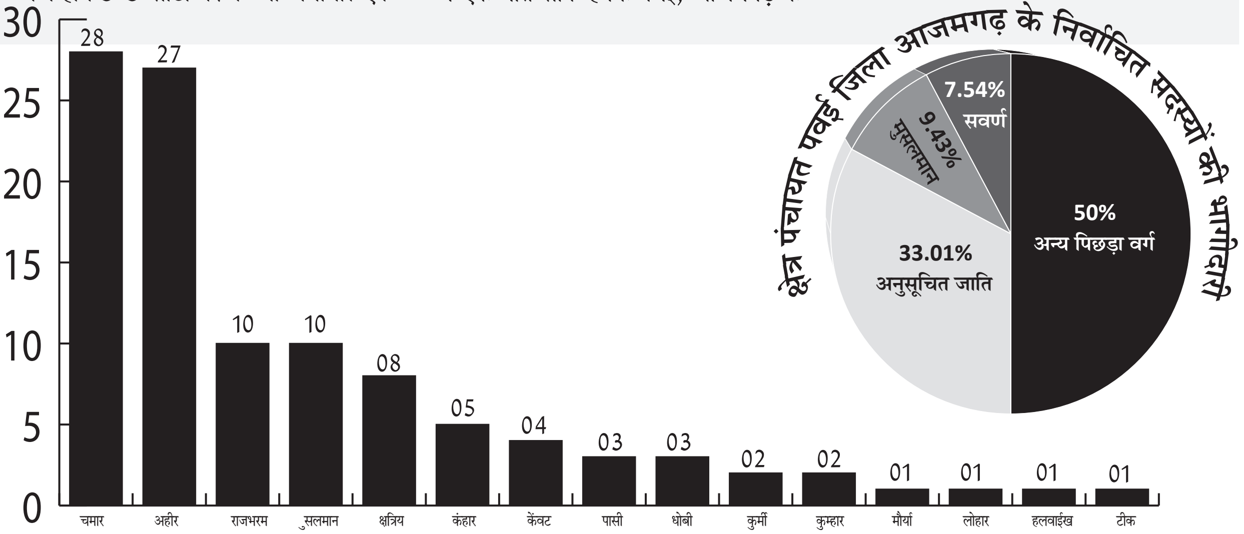

पवई क्षेत्र पंचायत जिला आजमगढ़ के निर्वाचित सदस्यों की जातिवार संख्या

जातीय जनगणना रिपोर्ट
(आजमगढ़ की भरमा डढ़िया ग्रामसभा)

▪ *नरेन्द्र प्रताप*

2021 के मार्च अप्रैल महीने में सोलहवीं बार देश की जनगणना होनी थी लेकिन कोरोना के चलते जनगणना को आगे के लिए टाल दिया गया है। जो आने वाले दिनों में होगी। 2021 की जनगणना में इस बार भी ओबीसी की गणना को शामिल नहीं किया जा रहा है। जिसके लिए देश भर में अनेकों आंदोलन और व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है कि ओबीसी की गणना को 2021 की जनगणना में शामिल किया जाय। फिलहाल सच्चाई की तह तक जाने के लिए जब तक कि सरकार द्वारा ओबीसी की गणना नहीं की जाती है तब तक बसावन इंडिया किसी न किसी ग्रामसभा की जनगणना की रिपोर्ट का प्रकाशन करता रहेगा जो उसी ग्रामसभा के किसी नागरिक द्वारा की जाएगी। जिसका की क्रेडिट हम उस नागरिक को देंगे।

इस बार की जातीय जनगणना रिपोर्ट में आजमगढ़ जिले की भरमा डढ़िया ग्रामसभा की जातीय जनगणना का प्रकाशन कर रहे हैं। भरमा और डढ़िया दो अलग अलग गाँव हैं लेकिन ग्रामसभा एक ही है। भरमा डढ़िया ग्रामसभा संपादक की अपनी ग्राम सभा है इसकी रिपोर्ट संपादक ने स्वयं तैयार की है। जिसको तैयार करने में ग्राम पंचायत चुनाव 2021 के मतदाता सूची का प्रयोग किया गया है। भरमा डढ़िया ग्रामसभा में कुल वोटरों की संख्या 1205 है। भरमा डढ़िया ग्रामसभा में अहीर, चमार, कोंहार, कहार, नाई, लोहार, मुसलमान, राजभर, कोइरी और धरिकार सहित कुल 10 जातियां रहती हैं। इस गांव में सवर्ण जातियों की संख्या शून्य है।

ग्रामसभा में अन्य पिछड़ी जातियों के मतदाताओं की संख्या 1000 है। यह कुल मतदाताओं का लगभग आबादी 83 फीसदी है। पिछड़ी जातियों में सबसे अधिक अहीर हैं, इनके कुल मतदाताओं की संख्या 863 है। इसके बाद अन्य ओबीसी की जातियां आती है। मतदाता सूची के अनुसार दूसरे नंबर पर हैं को हार हैं इनकी संख्या 31 है। अन्य जातियों मेंकोइरी 23, लोहार 14, राजभर 21, कहार 06 व नाई 06 हैं। मुसलमानों की कुल संख्या 25 है। अनुसूचित जातियों में चमार, और धरिकार हैं। इनकी संख्या क्रमशः 205 और 11 है। इस ग्राम सभा में अहीर और चमार जातियों की संख्या सबसे अधिक होने की वजह से ग्राम प्रधान से लेकर ग्राम पंचायत चुनाव में अहीर और चमार जातियों के मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। भरमा डढ़िया ग्रामसभा की इस जातीय जनगणना को नीचे चार्ट के द्वारा भी दिखाया जा रहा है।

उपरोक्त गाँव की गणना से सबसे ज्यादा संख्या अहीरों की और उसके बाद चमारों की है। कहते है कि बटुली में एक चावल की बानगी काफी होती है। देश के हर गाँव में तो नहीं लेकिन पूर्वांचल के हर गाँव में कमोबेश स्थिति ऐसी ही है। हर गाँव में खेती करने वाली एक जाति जिसमें अहीर, कुर्मी, जाट कोइरी (मौर्या), साहू का बाहुल्य होता है। जैसे कि आजमगढ़ में अहीर तो मिर्जापुर में कुर्मी, बागपत में जाट, छत्तीसगढ़ के धमतरी में साहू, बिहार के मधेपुरा में अहीर, महाराष्ट्र के बारामती में मराठा कुनबी जातियों का बाहुल्य है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव की जीत समाजवाद की जीत न होकर अहीरों की संख्या की जीत है तो मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल की जीत उनकी अपनी जीत न होकर कुर्मियों की संख्या की जीत है। स्वामी प्रसाद मौर्या की कुशीनगर के कुशवाहों की जीत है। बागपत में जाट जैसी जातियों का जो बाहुल्य है वहां से उसी जाति का नेता प्रतिनिधित्व करता रहा।

लोकतंत्र में दूसरी जातियों को जोड़ने की जरुरत ने धीरे-धीरे हर जाति का एक नेता पैदा कर दिया जिसका फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसी अन्य पार्टियों ने मुसलमानों को एक कमान दुश्मन के रूप में प्रस्तुत किया और चुनाव जीतती रही लेकिन जाति के खात्मे का सवाल और भागीदारी लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस चुनौती के समुचित समाधान के लिए जाति जनगणना जरुरी हो जाती है। जिससे आरक्षण से लेकर संसाधनों में समुचित भागीदारी और तंत्र में सारी जातियों को डायवर्सिटी दिखनी चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधि विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉ. रोशन लाल सोनकर का मानना है कि जिन जातियों का निर्वाचन प्रतिनिधियों के रूप में और सरकारी तंत्र में समुचित भागीदारी नहीं मिल पा रही है उनके लिए विधान परिषदों और राजसभा की सीटों में मनोनयन में प्राथमिकता दी जाए और अमेरिका के डायवर्सिटी नीति का पालन करते हुए भारत में भी लेखपाल, प्राईमरी टीचर, नर्स, सफाईकर्मी सब में सभी के चेहरा दिखाने के लिए डायवर्सिटी व्यवस्था को मिशन के रूप में लेना होगा। ▪

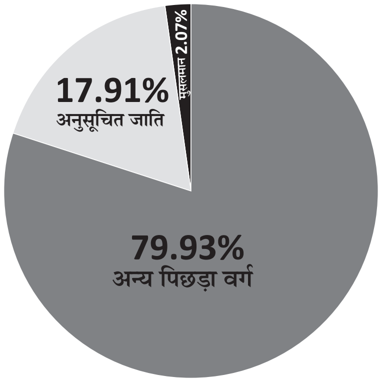

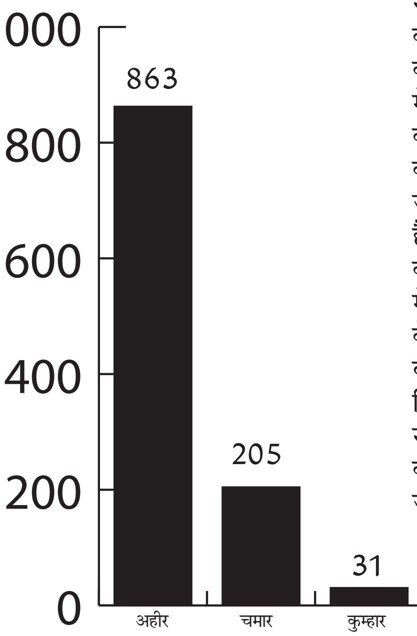
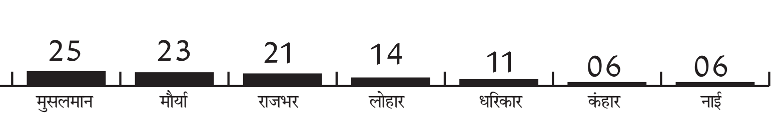

मतदाता सूची 2021 के अनुसार ग्रामसभा भरमा डढ़िया (आजमगढ़) के जातिवार आँकड़े

भारतीय लोकतंत्र में क्षेत्रीय राजनीति

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम आम चुनाव से लेकर चौथे आम चुनाव तक भारत संघ राज्य और उसके राज्य क्षेत्रों में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था होने के बावजूद भी एक ही दल का प्रभुत्व रहा। 1967 के आम चुनाव तक क्षेत्रीय आकांक्षाएं पहले से बड़ा रूप धारण कर चुकी थीं, नौ राज्यों में संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनीं,जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल था। आपातकाल के बाद 1977 में क्षेत्रीय जन आकांक्षाएं जनता पार्टी के रूप में संगठित हुई लेकिन उद्देश्यों की पूर्ति किए बगैर ही बिखर गई। इसी बीच सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग भी गोलबंद हो रहे थे। इस गोलबंदी को रेखांकित करते हुए जनता पार्टी के बिखरे भाग 1988 में जनता दल के रूप में संगठित हुए राष्ट्रीय स्तर पर जनता दल भी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूर्ति करने में असमर्थ रही। धीरे-धीरे क्षेत्रीय दल भी चर्चा में आने लगे।

▪ *आलोक नाथ 'भंटू'*

मंडल आंदोलन के दौरान सामाजिक और आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों ने एक संगठित समूह का रुप ले लिया था, और यही समूह क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रुप में उदित हुए।यही सवाल और समूह, क्षेत्रीय व केंद्रीय राजनीति को पूरी तरह प्रभावित किया, साथ ही गठबंधन की राजनीति की भी शुरुआत हुई।उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का उभार हुआ, जो आज तक प्रभावित कर रहे हैं। जब लंबे समय तक क्षेत्रीय जन आकांक्षाओं के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को पार्टी, शासन व प्रशासन में प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर फिर से क्षेत्रीय दलों में जातीय आधार पर टूट हुई। जल्दी ही बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल के स्थापित हो गई। राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट), महान दल, निषाद पार्टी, इन्डियन जस्टिस पार्टी, आजाद समाज पार्टी का उदय हुआ। बिहार जेपी आंदोलन की कोख से जन्म लेने वाले नेताओं स्व. राम बिलास पासवान, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव और नितीश कुमार अपनी अपनी पार्टियां बनाई और बिहार में कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। जनतादल (यू), राष्ट्रीय जनतादल और लोक जन शक्ति पार्टी। बाद में राम मांझी ने सेकुलर दल के रूप में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का गठन किया।

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बसपा ने मुखर होकर वंचित तबके के लिए लड़ाई लड़ी, कांशीराम के प्रयासों से बसपा निचली जातियों को बड़ी संख्या में जोड़ने में कामयाब भी रही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में सेंध मारी की रही,ये सभी जातियाँ उस समय कांग्रेस के साथ जुड़ी थीं, लेकिन बहुत लंबे समय तक वह अपने इस मकसद में कामयाब नहीं रह सकी, मुद्दों से भटकाव होने की स्थिति में धीरे-धीरे बसपा का भी वोट बैंक खिसकने लगा और वह एक जाति विशेष की पार्टी बनकर रह गई। जिसके कारण आरक्षण के मुद्दों से विमुख होना, बसपा का कांशीराम के बहुजनवाद से दूर होना और शीर्ष नेतृत्व का तानाशाही रवैया था। धीरे-धीरे क्षेत्रीय दलों के रुप में सभी जातियों ने अपनी पार्टियाँ बना लीं, और इन जातियों में जिस जाति की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उसके खिलाफ अन्य जातियों को भाजपा ने आरक्षण सिर्फ एक जाति को मिल रही है, यह कह कर अपने पाले में कर ली है। हाल के दिनों में बसपा सबसे कमजोर हुई है, उत्तर प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रीय दल बने हैं,उसके मूल वोटर बसपा से ही जुड़े थे। यह कमजोरी शीर्ष नेतृत्व की सत्ता की भूख ने पैदा की है। मायावती ने बसपा से जुड़ी अन्य जातियों को न ही सत्ता, न ही सरकार के शीर्ष पर बैठने दिया। बसपा के वोट से ही भाजपा मजबूत हुई है। कमोबेश समाजवादी पार्टी का भी ऐसा ही हश्र हुआ, नेतृत्व परिवर्तन के बाद समाजवादी पार्टी भी गुटबंदी का शिकार हो गई, धीरे-धीरे सपा भी टूट गई, एक नए समाजवादी खेमे का निर्माण हुआ हलाकि समाजवादी पार्टी में सबसे कम टूट हुई, सपा मुखिया का सवर्ण प्रेम पार्टी के पराभव का कारण बना। उसके सपोर्टर मतदाता भाजपा के मजबूत होते ही और खुद की जाति की क्षेत्रीय दल के गठन ने उससे दूर कर दिया। समाजवादी पार्टी हमेशा से उत्तरप्रदेश के अंदर पूर्वांचल, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, अवध, पश्चिम के लिए अलग-अलग रणनीति तैयार किए रहती थी, इन जिलों में कहीं-कहीं विधानसभावार रणनीति बनाए रहती थी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में ही क्षेत्रीय संतुलन करते हुए सत्ता तक पहुंचती थी, यह संतुलन तब असंतुलित हो गया जब

भाजपा ने किस वर्ग के खिलाफ अन्य जातियों को भड़काया और मायावती की जिद्द ने बसपा से अन्य जातियों को अलग करा दी। बिहार के राजनीतिक पटल पर लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख दल के रूप में रही बाद में नितीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन कर सत्ता में काबिज हुए। 2020 में भाजपा के सहयोग से नितीश कुमार फिर से कुर्सी कब्जाने में कामयाब रहे। लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख विपक्षी दल के रूप है। भले ही लालू की राष्ट्रीय जनता दल क्षेत्रीय पार्टी है लेकिन लालू प्रसाद राष्ट्रीय स्तर के नेता है जिन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। लोक जन शक्ति पार्टी रामबिलास पासवान के निधन के बाद बिखर गई।

विपक्षी दलों द्वारा परिवारवाद को मुद्दा बनाया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियों की अभी एक भी पीढ़ी समाप्त भी नहीं हुई की विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। भाजपा, कांग्रेस व क्षेत्रीय दलों के परिवारवाद में अंतर है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कभी भी एक परिवार के चंगुल में नहीं रहा लेकिन क्षेत्रीय दल, कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ ही लड़कर सत्ता में आए। कांग्रेस में पार्टी, परिवार और सरकार के अहम फैसले तक एक ही परिवार तक सीमित कर दिया। मुख्यमंत्री, मंत्रीमंडल में जगह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जैसे अहम पद एक व्यक्ति या परिवार तक सीमित रहता है जबकि जनता पार्टी और जनता दल ने सभी को भरपूर अवसर दिया लेकिन जब यही नेतृत्व क्षेत्रीय दल में परिवर्तित हुआ तो कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलने लगा। इसका प्रभाव हुआ कि शीर्ष नेतृत्व का अनुसरण करते हुए अब हर सांसद-विधायक अपना उत्तराधिकारी अपने परिवार को जीते जी घोषित करने लगा, अपनी सीट त्याग कर बेटे-बेटियों को चुनाव लड़वाने लगे। कुछ लोग इसमें सक्षम नहीं हुए तो, अपने परिवार को पंचायत स्तर के चुनाव में भी उतारने लगे, ग्राम प्रधान, प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष भी उनके कब्जे में चली गई। आम कार्यकर्ता न किसी प्रकार का जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता है। हिम्मत भी नहीं कर सकता है कि सांसद-विधायक गांव की पंचायत से लेकर देश की पंचायत की चुनाव को परिवार और पैसे की बीच जनप्रतिनिधि को पेंडुलम बना दिए हैं।

इस समय क्षेत्रीय दलों को मराठा राज्य की भांति फैसला लेना होगा। जैसे मराठा राज्य को बचाने के लिए मराठा क्षत्रपति ने पेशवा को गद्दी सौंप दी,और मराठा राज्य उत्कर्ष पर पहुंचने लगा।आज क्षेत्रीय दल भी हिम्मत दिखाएं और शीर्ष नेतृत्व और संसदीय बोर्ड के वास्तविक शक्ति सामाजिक न्याय के आंदोलनों में भागीदार रहीं अति पिछड़ी जातियों को सौपें, तब सामाजिक न्याय भी स्थापित होगा और भाजपा का षडयंत्र भी कम होगा।

किसी भी लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय दल ही अंतिम व्यक्ति के व्यक्तित्व में सहायक नहीं हो सकते हैं, और ना ही काफी हैं बल्कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति के अभिन्न अंग हैं। क्षेत्रीय मुद्दे की अभिव्यक्ति कोई असामान्य अथवा लोकतांत्रिक राजनीति के व्याकरण से बाहर की घटना नहीं है।

क्षेत्रीय दलों को यह भी सोचना होगा कि राजनीति में जिम्मेदारी और हिस्सेदारी ही अहम होती है, जिससे यह नहीं मिलेगी वह ठगा और असहाय महसूस करेगा। आज तक राष्ट्रीय दलों पर यही आरोप लगते हैं आ रहे हैं राष्ट्रीय मुद्दों की आड़ में क्षेत्रीय जन आकांक्षाओं और वर्गीय प्रतिनिधित्व से वंचित रखते हैं। क्षेत्रीय दल भी आज वर्गीय प्रतिनिधित्व को ताक पर रख दिए हैं।

लोकतंत्र की धमनियाँ है- क्षेत्रीय दल

किसी भी राजनीतिक दल का वर्गीकरण क्षेत्र में उसके प्रभाव के अनुसार किया जाता है। इस प्रभाव का मूल्यांकन भारतीय चुनाव आयोग करता है जो विभिन्न राज्यों में समय समय पर चुनाव परिणामो की समीक्षा करता है। वे दल जिनके पास एक राज्य में पर्याप्त सीटें या वोट हैं उन्हें चुनाव आयोग द्वारा राज्य पार्टी के रूप में अधिकृत किया जा सकता है। उस राज्य में राज्य दल के रूम में मान्यता मिलने पर दल को एक विशेष चुनाव चिन्ह आरक्षित करने का विकल्प मिल सकता है। एक पार्टी को एक या एक से अधिक राज्यों में मान्यता मिल सकती है यदि इसी प्रकार चार राज्यों में मान्यता मिल जाय तो पार्टी स्वतः ही राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अधिसूचित हो जाति है।

भारत में राजनीतिक दलों को तीन समूहों अर्थात राष्ट्रीय दल (संख्या 8), क्षेत्रीय दल (संख्या 53) और गैर मान्यता प्राप्त दलों (संख्या 2044) के रूप में बाँटा गया है।

सभी राजनीतिक दल जो स्थानीय स्तर, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं उनका भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत होना आवश्यक है। राज्य स्तरीय मान्यता के लिए क्या हैं शर्तें-

1. दल को विधानसभा चुनाव में कम से कम कुल सीटों की 3 प्रतिशत सीटें या तीन सीटें जीतनी होंगी।
2. दल को राज्य में निर्धारित लोकसभा सीटों में से प्रत्येक 25 सीटों पर एक या कम से कम एक अथवा उसके अंश पर जो राज्य में निर्धारित हो।
3. दल को लोक सभा / विधान सभा के चुनाव में वैध मतों का कम से कम 6 प्रतिशत मत प्राप्त हो तथा लोक सभा में कम से कम एक सीट और विधान सभा में दो सीट पर विजय प्राप्त की हो।
4. यदि दल ने लोक सभा और विधान सभा में कोई सीटें न जीती हो लेकिन यदि उसने लोक सभा / विधान सभा चुनाव में वैध मतों का 8 प्रतिशत मत हासिल किया हो।

कुछ महत्वपूर्ण चर्चित राज्य स्तरीय दल-

- अपना दल(सोनेलाल) - इसका प्रभाव क्षेत्र उत्तरप्रदेश है। इस दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल है।
- आम आदमी पार्टी–दिल्ली और पंजाब में सक्रिय है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद

केजरीवाल हैं।

- आल इण्डिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन - तेलंगाना में सक्रिय है।इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आसुद्दीन ओवैसी है
- इन्डियन नेशनल लोक दल - हरियाणा में प्रमुख रूप से सक्रिय है राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला हैं।
- राष्ट्रीय जनता दल - बिहार में सक्रिय, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं।
- समाजवादी पार्टी–उत्तर प्रदेश में सक्रिय इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं।
- असम गण परिषद् असम में सक्रिय। इसका उदय असम में छात्र आंदोलन के परिणाम स्वरुप हुआ।
- इन्डियन नेशनल लोक दल - हरियाणा में सक्रिय इसके अध्यक्ष ओम प्रकश चौटाला हैं।
- सुभासपा - उत्तर प्रदेश में सक्रिय, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं।
- ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक- पश्चिम बंगाल में सक्रिय, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष देबब्रत बिस्वास हैं।
- जनता दल (यूनाइटेड)-बिहार में सक्रिय वर्तन में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीश कुमार हैं।
- जनता दल (सेकुलर)–प्रभाव क्षेत्र कर्णाटक और केरल वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एच डी देवगबड़ा हैं।
- जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉफ्रेंस- प्रभाव क्षेत्र जम्मू और कश्मीर है इसके प्रमुख फ़ारुख़ अब्दुल्ला हैं।
- जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी- प्रभाव क्षेत्र जम्मू और कश्मीर है इसके प्रमुख महबूबा मुफ्ती हैं।
- तेलुगु देशम पार्टी–प्रभाव क्षेत्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, प्रमुख चंद्रबाबू नायडू हैं।
- द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम- प्रभाव क्षेत्र तमिलनाडु और पुडुचेरी इसके प्रमुख एम के स्टॉलिन हैं।

क्षेत्रीय दलों के साथ समस्याएं –

- क्षेत्रीय दलों की समस्त गतिविधियां किसी व्यक्ति विशेष के आस पास घुमती रहती है। सर्वाधिकार संपत्र होता है और उसे कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है अन्य शब्दों में कहें तो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है।
- क्षेत्रीय दल एक जागीर की तरह होता है। जिस पर योग्य व्यक्ति ही बना रह सकता है।
- क्षेत्रीय दलों में बिखराव की स्थिति बनी रहती है। ऐसा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण होता जैसा कि बिहार में लोक जन शक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के परिणाम स्वरुप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को ही पदच्युत कर दिया।
- क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों को लेकर प्रकाश में आते है, इसलिए इनका प्रभाव क्षेत्र बहुत दूर तक नहीं होता है।

भारत जैसे बहुभाषी मिश्रित संस्कृति के देश क्षेत्रीय दल उन आकांक्षाओं को पूरा करते है जिनका की राष्ट्रीय दल उपेक्षा कर देते है। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की अपनी समस्याएँ होती हैं जिन पर राष्ट्रीय दलों या केंद्रीय नेताओं का ध्यान नहीं जाता परिणामस्वरूप क्षेत्रीय दलों का उदय होता है। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये न केवल क्षेत्रीय समस्याएँ या मुद्दे जो उपेक्षित हैं कि तरफ देश का ध्यान आकर्षित करती हैं बल्कि उसके निवारण के लिए प्रयास भी करती हैं। केंद्र अपनी शक्तियों का प्रयोग मनमाने ढंग से करता रहा है। यह क्षेत्रीय दल ही होते है जो की केंद्र की स्वेच्छाचारी प्रविति पर लगाम लगते हैं। ▪

जातिवाद ईंट-गारे की दीवार नहीं जो तोड़ी जा सके-डॉ.अंबेडकर

जिस जाति के खात्मे की वह बात कर रहा है उसके विषय में डॉ. अम्बेडकर ने जाति समस्या पर लिखी गई अपनी बेहतरीन रचना जाति का विनाश में कहा जातिवाद ईंट-गारे की कोई दीवार या कांटेदार तारों की घेराबंदी नहीं है जो लोगों को आपस में मिलने से रोकती हो और जिसको गिरा देने से बाधा दूर हो जायेगी। यह तो एक धारणा अर्थात मानसिक स्थिति है। अतः जातिवाद की समाप्ति का अभिप्राय किसी भौतिक पदार्थ का अस्तित्व मिटाना नहीं, वरन धारणा अर्थात् भावनात्मक परिवर्तन से है। शायद बाबा साहेब की इस बात को ही ध्यान में रखकर निखिल आनंद ने अपने लेख में कहा है, जाति कोई शिव का धनुष नहीं जो कोई राम आयेगा और उसे एक बार में तोड़ देगा। अतः जाति एक अमूर्त समस्या और मानसिक व्याधि है जिसे खत्म करना लगभग असम्भव है लेकिन पूरी तरह से असम्भव भी नहीं है। हम जातिवाद खात्मा कर सकते हैं यदि उन कारकों को ध्वंस कर दें जो हिन्दुओं की मानसिक व्याधि के उत्स हैं। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि सबसे पहले वह कौन से तत्व हैं जो रोग के जड़ में हैं। इसकी सटीक पहचान डॉ. अम्बेडकर ने ही जाति के विनाश में कराया है। ▪

राजनीतिक पार्टियों का सवर्ण गाथा

अखिलेश यादव

अमर सिंह

डिम्पल यादव

अर्पणा बिष्ट

राजलक्ष्मी

समाजवादी पार्टी ने भारतीय संविधान के प्रति जिन मूल्यों की कल्पना की थी, भले ही नाम उसने उन्ही मूल्यों से लिया। मुलायम सिंह यादव ने संविधान की प्रस्तावना `समाजवादी' शब्द लेकर समाजवादी पार्टी बनायीं थी लेकिन समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों के प्रति कोई नीति नहीं बनायीं। समाजवादी पार्टी की राजनीति मध्य काल के मुगल सम्राट जलालुदीन मुहम्मद अकबर की भांति राजपूत नीति की तरफ बढ़ चली। समाजवादी पार्टी, मुगल सम्राट जलालुदीन मुहम्मद अकबर की भांति अपनी सल्तनत चलाना चाहती थी। जिस तरह से अकबर के राजपूत नीति के सूत्रधार मान सिंह थे, ठीक उसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपना महत्वपूर्ण सिपहसलार अमर सिंह को बनाया।

▪ *बसावन इंडिया डेस्क*

समाजवादी पार्टी की राजपूत नीति-

- समाजवादी पार्टी के राजपूत नीति सूत्रधार तत्कालीन सपा नेता और उद्योगपति ठाकुर अमरसिंह थे।
- सपा सरकार में राजपूतों का दबदबा था। अनुराग भदौरिया और केपी सिंह जैसे क्षत्रपों का बोलबाला था।
- मंत्रालय के बंटवारे और विभिन्न नौकरियों में राजपूतों को वरीयता दी गई।
- समाजवादी पार्टी की राजपूत नीति में विवाह शादी भी शामिल था। समाजवादी परिवार में आज तीन तीन बहुएं राजपूत परिवारों से है। डिम्पल यादव, अर्पणा यादव और राज लक्ष्मी यादव राजपूत परिवारों से आती है।

समाजवादी पार्टी की ब्राह्मण नीति

ब्राह्मणों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी की ब्राह्मण तुष्टिकरण की नीति को अपनाया। पार्टी ने ऐसी नीतियां बनायीं जिसका सीधा सीधा लाभ ब्राह्मणों को मिल सके।

- समाजवादी पार्टी ने सबसे बड़ा मंदिर बनवाने की घोषणा की।
- सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में 83 में से 82 ब्राह्मणों की भर्ती की भर्ती की।
- लखनऊ में जनेश्वर मिश्र की सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना की और भव्य पार्क का निर्माण करवाया।
- समाजवादी पार्टी के 12 में से 4 प्रवक्ता ब्राह्मण हुआ करते थे।

समाजवादी पार्टी के पतन की शुरुआत तभी से हो गई जब से इनकी राजपूत नीति और ब्राह्मण नीति हावी हुई। समाजवादी पार्टी की पिछड़ों के प्रति कोई नीति नहीं रही। अहीर, मुसलमान, पासी, केंवट सपा के कोर वोटर होते हुए भी, सिर्फ 'सपा के लोग' होने का तमगा लिए घूमते रहे। पिछड़ों में अहीर और मुसलमान से अन्य पिछड़ी जातियों को और दलितों में पासियों के खिलाफ अन्य दलित जातियों को भड़काया कर राजनीतिक लाभ ले लिया गया। जब समाजवादी पार्टी पर 'यादववाद' का आरोप लगा तो पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने खुलकर इसका विरोध करने की जहमत नहीं उठाई। इनके पास गड़रियों, धोबियों, केंवटों, चमारों के लिए कोई नीति नहीं थी, जिस तरीके से राजपूत और ब्राह्मण नीति थी। 'सपा के लोग' को सपा सरकार में भी कोई विशेष आर्थिक लाभ नहीं मिला सिर्फ पार्टी के सत्ता में होने के कारण उनका मनोबल ऊँचा रहा। राजनीतिक और सामाजिक चिन्तक राजेश प्रधान का मानना है कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों के प्रति हमेशा डिफेंसिव रही। डिफेंसिव होने के नाते समाजवादी पार्टी हांसिए पर चली गई है। सपा ने पिछड़ों के लिए की कोई नीति नहीं बनायी, जबकि मंडल कमीशन के बाद की राजनीति पिछड़ों के इर्द-गिर्द घुमती रहती है।

आस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग पढ़ने के बावजूद अखिलेश यादव आज सड़क के नेता न होकर हांसिए के नेता बन गये है।इनके अफसरशाही में ज्यादातर कायस्थ हुआ करते थे। इसलिए कहा जाता है कि समाजवाद पार्टी ने संविधान के मूल्यों से कोई सीख नहीं लिया। समता जो संविधान का मूल उद्देश्य था उससे हट गई। समाजवादी पार्टी चाहे जिला पंचायत में यादवों को टिकट देने का मामला हो या 86 में 56 यादव एसडीएम का फर्जी मामले पर सच का पक्ष नहीं रख पाई। जिस 86 में 56 यादव एसडीएम की झूठी अफवाह पर अखिलेश यादव बदनाम हुए वही अखिलेश यादव 83 में 82 ब्राहमणों की नियुक्ति करके ब्राहमणों के हितैषी नहीं बन सकें। 86 में 56 तो सवर्णों का सफल हो गया लेकिन 83 में से 82 ब्राहमणों की नियुक्ति करके के भी अखिलेश यादव सफल नहीं हो पाए। समाजवादी झूठे का जबाब देने में अक्षम रहे।

शायद अखिलेश यादव यह भूल गये थे कि आज का युग डार्विन का युग है, जेनेटिक्स का युग है। राज काज संविधान से चलता है न की किसी राजपूत नीति और ब्राह्मण नीति से।

अखिलेश यादव शिक्षित तो हैं, लेकिन संगठन बनाना नहीं जानते, संघर्ष करना नहीं जानते। इसलिए भारत के संविधान से समाजवादी शब्द लेकर भी समाजवाद की बुनियादी मूल्यों से दूर हो गये।

बसपा की ब्राहमण नीति

मायावती

सतीश चंद्र मिश्र

ये पता चलता की बसपा की ब्राहमण नीति समाजवादी पार्टी से कोसों आगे थी लेकिन पिछड़े विशेषकर अहीर उससे दूर होते चले गए और बहुत दूर चले गए। बसपा के शासनकाल के लिए कहा जाता था कि बसपा के राज में ब्राहमण खाएं खीर कोई भी जाति चोरी करे पकड़ा जाए अहीर। यहाँ तक कि जब सपा-बसपा का गठबंधन हुआ तो दिल की दूरियां करीबी में नहीं बदली जा सकी। बसपा धीरे-धीरे हॉसिए की ओर चली जा रही है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देकर बसपा ने जो शुरूआत की थी भाजपा ने सबका साथ सबका विकास का नारा देकर उसे निगल ही लिया। आज अहीरों को तो छोड़ ही दीजिए, आज लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्या, धरम सिंह सैनी, इन्द्रजीत सरोज जैसे बसपा के बड़े चेहरे जो कभी सामाजिक न्याय के नुमाइंदे हुआ करते थे, आज सबका साथ सबका विकास के साथ खड़े होते दिख रहे है। ▪

भाजपा का सवर्ण प्रेम

योगी आदित्य नाथ

डॉ. महेन्द्रनाथ पाण्डेय

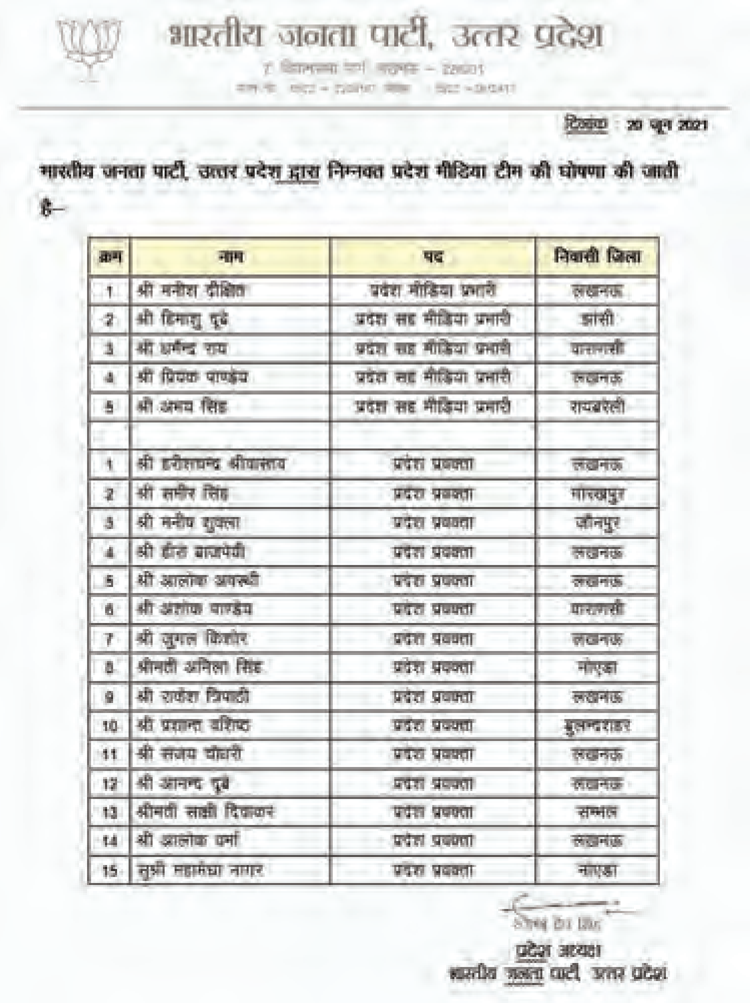

भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश

दिनांक : 20 जून 2021

भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश द्वारा निम्नवत प्रदेश मीडिया टीम की घोषणा की जाती है–

क्रम	नाम	पद	निवासी जिला
1	श्री मनीष दीक्षित	प्रदेश मीडिया प्रभारी	लखनऊ
2	श्री हिमांशु दुबे	प्रदेश सह मीडिया प्रभारी	झांसी
3	श्री धर्मेन्द्र राय	प्रदेश सह मीडिया प्रभारी	वाराणसी
4	श्री प्रियक पाण्डेय	प्रदेश सह मीडिया प्रभारी	लखनऊ
5	श्री अभय सिंह	प्रदेश सह मीडिया प्रभारी	रायबरेली
1	श्री हरीशचन्द्र श्रीवास्तव	प्रदेश प्रवक्ता	लखनऊ
2	श्री समीर सिंह	प्रदेश प्रवक्ता	गोरखपुर
3	श्री मनीष शुक्ला	प्रदेश प्रवक्ता	जौनपुर
4	श्री हीरो बाजपेयी	प्रदेश प्रवक्ता	लखनऊ
5	श्री आलोक अवस्थी	प्रदेश प्रवक्ता	लखनऊ
6	श्री अशोक पाण्डेय	प्रदेश प्रवक्ता	वाराणसी
7	श्री जुगल किशोर	प्रदेश प्रवक्ता	लखनऊ
8	श्रीमती अनिला सिंह	प्रदेश प्रवक्ता	नोएडा
9	श्री राकेश त्रिपाठी	प्रदेश प्रवक्ता	लखनऊ
10	श्री प्रशान्त वशिष्ठ	प्रदेश प्रवक्ता	बुलन्दशहर
11	श्री संजय चौधरी	प्रदेश प्रवक्ता	लखनऊ
12	श्री आनन्द दुबे	प्रदेश प्रवक्ता	लखनऊ
13	श्रीमती साक्षी दिवाकर	प्रदेश प्रवक्ता	सम्भल
14	श्री आलोक वर्मा	प्रदेश प्रवक्ता	लखनऊ
15	सुश्री महामेधा नागर	प्रदेश प्रवक्ता	नोएडा

प्रदेश अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश

भाजपा की नीति- वैसे तो भाजपा सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चली थी लेकिन वह सबका साथ और सवर्ण विकास की नीति पर ही काम कर रही है। सबका साथ तो सही है लेकिन सबका विकास छलावा है। बीजेपी प्रवक्ताओं की लिस्ट में आप खुद ही देख लीजिये कहाँ है सबका साथ सबका विकास। ▪

राजनीति की राहें सुकून भरी तो न थी

राजस्थान की राजनीतिक परिघटना

▪ *डॉ. कालूलाल कुलमी*

राजनीति में कुछ भी कुछ भी स्थिर नहीं होता। राजस्थान की राजनीति की बात की जाए तो एक बार आप और एक बार आप। 200 सीट की विधान सभा में कॉंग्रेस और बीजेपी अपने-अपने तरीके से खेलते हैं। 2019 के चुनाव में कॉंग्रेस अपना अंक 100 के पार ले गई और सरकार बन गई। गहलोत सीएम बन गए। अब अशोक गहलोत और सचिन पायलॉट के बीच एक शीट युद्ध चलता रहा और एक दिन अचानक सचिन ने मीडिया में बोला कि गहलोत सरकार अल्पमत में हैं। फिर दौर शुरू हो गया कि अब क्या होगा और कैसे होगा। सचिन लगभग बाहर हो गए और उनको मनाया गया और जैसे भी कर सरकार और सचिन दोनों को बचाया गया। कॉंग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व हर बार अपने ही चक्रव्यू में उलझता लगता हैं और सब-कुछ को जैसे का तैसा रखता हैं। यही कारण हैं कि समस्या को खींचना उसका समाधान नहीं हैं। आलाकमान अगर इसको नहीं समझते तो ये उनके लिए ठीक नहीं हैं।

गहलोत गांधी और फुले को अपना आदर्श मानते हैं। गांधी परिवार के पुराने वफादार हैं। उनके पास अपना तरीका और उनके अपने लोग हैं ,वो जितना बनता हैं अच्छा करते हैं। अपने पद का लाभ लेते हैं और वो राजनीति के भी माहिर खिलाड़ी है। इस कारण वो हर बार कुछ न कुछ नया कर अपने को अलग साबित कर ले जाते हैं। आलाकमान को खुश करना उनको आता हैं। उनका अपना कद भी हैं उनके अपने लिंक भी हैं। ऐसे में वो अपना काम निकाल ले जाते हैं। सचिन को राजनीति विरासत में मिली हैं और वो राजनीति में ठीक से हैं। लेकिन उनका सरकार गिराने का दाव उल्टा पड़ गया और यही कारण हैं कि अब उनका ठिकाना कुछ अलग ही हैं। दिल्ली बार-बार भारी पड़ती हैं जयपुर पर। फिर यही चलता हैं दिल्ली-जयपुर। रही बात बीएसपी की तो उसके 6 विधायक थे वो कॉंग्रेस में चले गए।

आदिवासी पार्टी के राजकुमार राहुत और कुछ विधायक हैं तो उनका अपना बहुमत कम हैं। बाकी टीएसपी के विधायक दोनों ही पार्टी में हैं। वो जो कुछ मिलता हैं ले आते हैं और जय-जय कार करते हैं। राजकुमार युवा हैं और उनसे उम्मीद की जा सकती हैं कि वो राजस्थान की राजनीति में कोई नया नेरेटिव ईजाद करे। वो अपना काम कैसे करते हैं और किस तरह के लोगों के बीच रहते हैं ये तो समय बताएगा। लेकिन वो कर सकते हैं।

अब रही बात राजनीति में विविधता की तो वो आती हैं सामाजिक आंदोलन से। समाज में सामाजिक परिवर्तन आता हैं शिक्षा से- उसका हाल क्या हैं? उसका हाल ये हैं कि उसका कोई महत्व नहीं हैं। समाज एक साथ कई आयामों में जीता हैं। उसको बदलना हैं तो कई आयामों पर काम करना होता हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप समाज का टेंपर बदलने में नाकाम होते हैं और फिर तालिबन की तरह आपका समाज पीछे की और जाता हैं। राममनोहर लोहिया ने कहा था न नेता जनता के कंधे से नीचे नहीं उतरना चाहते और यही कारण है कि फिर स्वप्न भंग होते हैं। राजनीति और समाज हर बार अपना नेरेटिव बदलते हैं। आपका इसमें कितना योगदान हैं, अगर आप समझ गए तो समझो आप उसका सही अर्थ समझ गए। अभी जो राजनीति का कॉकटेल हैं वो धर्म, पूंजी और प्रेस पर चल रहा हैं। इसके पीछे बहुत कुछ चल रहा हैं। सामने और पीछे के विभेद को समझना भी जरूरी हैं। सोशल मीडिया और इसका ज्ञान जो नया समाज बना रहा हैं उसको भी आपको समझना हैं। केवल एक ही तरह से आप समाज और राजनीति को नहीं समझ सकते। समाज के बहुत लेयर हैं। मानसिक भी और बाहर के भी। अगर आप इसको समझकर काम करते हैं तो फिर आपको समझ आएगा कि कब क्या हो रहा हैं। 2014 के बाद राजनीति का स्वरूप बदला तो उसका कारण हैं। बुद्ध ने कहा न कारण- कार्य। कांशीराम ने विकल्प दिया था। वो खुद बने थे अपने लोगों के विकल्प, अगर आप चंद्रशेखर आजाद की तरह अपने को बड़ा बनाते हैं तो रास्ते खुद बनते हैं। ▪

मो.-9340964101

▪ कमलज्योति

हम अपना घर स्वच्छ और बहुत सुंदर रखना चाहते हैं। घर के बाहर प्रवेश द्वार से लेकर, दरवाजों, पर्दे से लेकर कमरों में एक कोने से दूसरे कोनों तक, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ना चाहते जो गंदा दिखे और हमें अहसास कराए कि हम गंदगी के बीच रहते हैं। साफ-सफाई हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होने के साथ अन्य लोगों की नजर में एक वह नजरियां के समान भी है जो हमें भी एक अच्छा इंसान होने का प्रमाणपत्र देता है। घर में कचरा और गंदगी से हमारा आमना-सामना रोज होता है। जब कभी गंदगी या कचरा घर पर होता है तो हम बिना देर किए तत्काल उसे घर के बाहर फेंकना चाहते हैं। कचरा जब तक घर में होता है एक तनाव के रूप में हमारे दिल और दिमाग को कचोटता ही रहता है। यहीं वजह है कि जैसे कोई कचरा उठाने वालों की सीटी की आवाज आती है, हम अपना जरूरी कामकाज कुछ देर के लिए छोड़कर सबसे पहले एकत्रित कचरों को अपनी नाक सिकोड़ते हुए ठिकाना लगाने पहुंच जाते हैं। जैसे ही कचरा फेंक आते हैं, हमारी एक बड़ी चिंता दूर हो जाती हैं। एक कचरा उठाने वाले सफाई कर्मी के आने से जहां रोज हमारी चिंताएं दूर होती है वहीं सफाई कर्मियों के प्रति हमारी सोंच और धारणा अभी तक नहीं बदल पाई है।

ताकि कन्हैया आता रहे...

ऐसे ही राजधानी रायपुर में एक सफाई कर्मी है कन्हैया। उसके सिर घर पर परिवार चलाने की जिम्मेदारी है। वह बचपन से ही शारीरिक बीमारी से पीड़ित है। जिसकी वजह से वह ठीक से बोल और चल नहीं पाता। उसके जुबान और पैर भी लड़खड़ाते है। इसके बावजूद भी उसे अपनी जिम्मेदारी का पूरा अहसास है। इसलिए वह रोजाना समय पर हर किसी के घर पहुंच कर कचरा उठाता है। पहली और दूसरी लहर में कोरोना और लॉकडाउन के बीच लोग जब घरों में कैद थे तब भी कन्हैया मुहल्ले-मुहल्ले घूमा करता था। उसे भी कोरोना का डर था, लेकिन यह भी मालूम था कि वह रूका तो घरों की सफाई कैसे होगी? कचरे कैसे उठेंगे? लोग बदबू से परेशान हो जाएंगे। इसलिए अपनी परवाह न करते हुए वह गर्मी, बारिश सहित ठंड के दिनों में बस कचरा उठाता रहा और आज भी कचरा उठा रहा है।

सफाईकर्मी कन्हैया भले ही सबके घरों का कचरा उठाता है लेकिन उसे इस बात का भी बहुत मलाल है कि बड़े घरों के अधिकांश लोग रिक्शे में कचरा उड़ेलते वक्त उनसे न सिर्फ बहुत दूरियां बनाते हैं, चंद बातें करना भी मुनासिब नहीं समझते। अपनी व्यथा बताते हुए वह कहता है कि हो सकता है बहुतों को

लगता होगा कि कन्हैया कहीं बक्खशीश न मांग ले। पीने का पानी या फिर कुछ बचा खुचा खाने का सामान मांग लिया तो क्या करेंगे। घर का बर्तन गंदा हो जाएगा। शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होने के बाद भी कन्हैया भले ही अपनी रोजी रोटी के लिए सफाईकर्मी का काम करता है, लेकिन घरों के कचरों को ढ़ोते-ढ़ोते जब कभी वह दिल और दिमाग में गंदगी लिए इंसान को भाप लेता और कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितयों में सफाईकर्मी का काम त्याग देता तो हम जैसे लोग सरकार और सिस्टम पर नुक्ताचीनी कर पूरा दोष सरकार और सिस्टम पर ही मढ़ देते। हम यह कहते कि जरूर सरकार या सिस्टम ने उन्हें सताया होगा। उन्हें वेतन समय पर नहीं दिया होगा। किसी अधिकारी ने फटकार लगा दी होगी। हम अपने भीतर कभी भी नहीं झांकते और न ही प्रयास करते कि आखिर एक सफाईकर्मी ने अपना काम क्यों छोड़ दिया।

हम चाहे कितना भी बदल जाए। कितनी भी पूंजी जमा कर लें। पैसों से बस अपना लाइफ स्टाइल ही बदल सकते हैं। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी सोंच और विचार बदलें। हमें आत्ममंथन करना चाहिए कि हमारी सोंच अब तक भला क्यों नहीं बदल सकी है कि कचरों में गंदगी के साथ इंसान को भी गंदा समझने लग जाते हैं। काम भले ही किसी का छोटा या बड़ा हो सकता है। अमीरी और गरीबी का फासला हो सकता है, लेकिन इंसान का इंसान से फासला सिवाए हमें नुकसान देने के अलावा कुछ नहीं है। हमें भी इसी समाज में रहना है। कोरोना ने भी हमें यहीं सीख दी है। बीमार होकर अलग-थलग होने के समय और एक के बाद एक हुई मौतों से ऐसी अनेक घटनाएं सामने आई जब पवित्र समझे जानी वाली लाशों को भी कंधा देने वाला भी नहीं मिल रहा था। अस्पताल में मौत के बाद उनके परिजनों तक ने लाशे नहीं लीं। कोरोना के खौफ ने अनेक रिश्ते भी तोड़ दिए। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में गंदगी साफ करने से लेकर, सेनेटाइज करने, ब्लीचिंग पाऊडर का छिड़काव करने, लाश उठाने से लेकर जलाने तक में सफाईकर्मियों का कार्य अतुल्यनीय था। वह सरकार और सिस्टम ही थे, जिन्होंने मानवीय संवेदनाओं का ख्याल बुरे वक्त में रखा। सफाईकर्मी भी शरीर की अंगो की तरह इस सरकार और सिस्टम के अंग है, और यह अंग तभी अच्छे से काम कर सकता है जब उन्हें बाहर से सम्मान रूपी उर्जा मिलती रहे।

इंसान ही इंसान के काम आ सकते हैं, वह चाहे किसी भी रूप में हो। सफाईकर्मी कन्हैया इस सिस्टम में बने रहे और घर से हमारा कचरा उठता रहे, यह तो हम चाहते है, लेकिन क्यों नहीं हम घर वाले कभी कन्हैया जैसे देश के लाखों लोगों की सुध ले पाते... कि हमारे घर का कचरा साफ कर हमें चिंतामुक्त करने वाले कन्हैया को हमारे व्यवहार से आखिर क्यों मलाल है?

हम रिक्शे में कचरा उड़ेल कर तत्काल ही दरवाजा क्यों बंद कर देते हैं? हम क्यों नहीं देखना या जानना चाहते कि गर्मी, बारिश और ठंड के दिनों में भी समय पर रिक्शा खींचता हुआ कचरा उठाने आया सफाईकर्मी कन्हैया भूखा है या प्यासा....क्या हम उसकी परिस्थितियों को उसकी नियति मानते हैं और ध्यान नहीं देना चाहते। शायद यहीं वजह है कि भोर होने के साथ घर से बिना कुछ खाए निकले सफाईकर्मी कन्हैया अपनी परवाह न कर हम और आपके घर के द्वार में रोजाना समय पर पहुंचकर कचरा उठानें पहुंच जाता है और हमारी परेशानी की सबब को अपने साथ ले जाता है।

वह गर्मी के दिनों में प्यासा होकर भी हमसे पानी नहीं मांगता.. बारिश में भीग जाता है लेकिन पल भर के लिए आश्रय नहीं मांगता...ठंडी के दिनों में भी जब कभी देर तक गर्म बिस्तर पर सोएं होते हो तो भी बाहर खुद कपकपाते हुए हमारा इंतजार हंसी खुशी कर लेता है। वह भूखा होता है तो भी अपना काम समय पर करके अपनी कम तनख्वाह से कभी-कभी बीस-तीस रुपए का नाश्ता जरूर कर लेता है। यकीन मानिए वह आपके बख्शीश का भूखा नहीं है, वह तो सिर्फ आपके मान-सम्मान और प्यार का भूखा है...जो उन्हें बहुत कम दरवाजों पर मिल पाता है। हमें भी चाहिए कि बुरे वक्त में साथ देने वाले और हमारी गंदगी साफ करने वालों की सुध लें ताकि कन्हैया जैसे लोग आपके घर आते रहें। ■

मो.- 7970006612

आलेख

अर्जकों के श्रम पर मौज उड़ाते है अनर्जक : रामस्वरुप वर्मा

रामस्वरूप वर्मा जी ने 1 जून 1968 को अर्जक संघ कायम किया था। उसके एक साल बाद, यानी 1 जून 1969 को उन्होंने अर्जक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन आरंभ किया था। इस अखबार ने पूरे हिंदी क्षेत्र में धूम मचा दी थी। यह अखबार नहीं, मानवाधिकारों का घोषणा-पत्र था और यह ब्राह्मणवादियों के लिए बम-विस्फोट से कम नहीं था। इसलिए आज अर्जक अखबार का भी स्थापना दिवस है।

अर्जक संघ स्थापना दिवस विशेष

▪ *कँवल भारती*

मैं अपने आपको बड़ा गौरवशाली समझता हूँ कि मैंने 1970 में महामना रामस्वरूप वर्मा जी के दर्शन किये थे, उनके लखनऊ में दारुलशफा स्थित आवास पर, जहां आज डॉ. अम्बेडकर छात्रावास बना हुआ है। मैं उस समय इंटर का छात्र था, और चन्द्रिका प्रसाद जिज्ञासु का दीवाना था, उनसे मिलने के लिए उतावला था। किसी से दस रुपए उधार लिए और मैं एक शाम लखनऊ के लिए पैसेंजर ट्रेन में बैठ गया। उन दिनों रामपुर से लखनऊ का छह रुपए का टिकट था। घर पर भी नहीं बताया था। स्टेशन पर मुहल्ले के कुछ लोग मोची का काम करते थे, उन्हीं में से एक को बता गया था कि घर बोल देना कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, परसों आऊंगा। उस भले आदमी ने बताया ही नहीं, भूल गया। माँ ने रात नौ बजे तक तो इंतजार किया, उसके बाद तो वह रातभर रोती ही रही। खैर, यह एक अलग विषय है। सुबह जिज्ञासु जी के दर्शन किए। वे उस समय किसी को बोलकर लेख लिखवा रहे थे। मुझसे बोले, यह लेख अर्जक के लिए है, आप जाओ तो इसे दारुलशफा में रामस्वरूप वर्मा को देते हुए निकल जाना। लेख पूरा हुआ, तो उन्होंने उसे एक लिफाफे में बंद करके, पता लिखकर मुझे दे दिया। मुझे तो बहाना मिल गया, मुझे तो खुद ही उनके दर्शन करने जाना था। मैं अपने शहर से अर्जक का संवाददाता भी था, उस समय तक मेरी तीन स्टोरीज अर्जक में छप चुकी थीं। अब मुझे और भी आसानी हो गई थी। इस तरह मैं शाम को दारुल शफा में उनके बंगले पर पहुंचा। एकदम सफेद धवल वस्त्र में गोरे चिट्टे दुबलेपतले वर्मा जी के मैंने दर्शन किए। वह कहीं जाने को निकले थे। मैंने उन्हें जिज्ञासु जी का लिफाफा दिया। खड़े-खड़े ही उन्होंने मुझसे दो-चार मिनट बात की. मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, इसी तरह जोश बनाए रहो। रामस्वरूप वर्मा ने श्रमशील जातियों को अर्जक कहा, और उन सबको अनर्जक, जो अर्जकों के श्रम पर मौज उड़ाते हैं। एक प्रकार से श्रमण संस्कृति को ही वर्मा जी ने अर्जक संस्कृति के रूप में स्थापित किया। इसी अर्जकवाद के अस्त्र से उन्होंने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध मानववाद की लड़ाई लड़ी। उनकी विचारधारा में कहीं भी समझौतावाद या मध्यममार्ग नहीं था। राजनीति के क्षेत्र में वर्मा जी सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे, जिसके नेता राममनोहर लोहिया थे। मगर लोहिया केवल नाम के समाजवादी थे, उनकी आस्था रामचरितमानस और मनुस्मृति में भी थी। वह रामायण मेले कराते थे, और पंच कन्याओं में क्रांति देखते थे। किंतु वर्मा जी के लिए यह ब्राह्मणवाद का समर्थन था। इसलिए उन्होंने लोहिया के छद्म समाजवादी दल को छोड़ दिया, और बिहार के क्रांतिकारी नायक जगदेव बाबू के साथ मिलकर शोषित समाज दल बनाया।

वर्माजी के लिए क्रांति एक गंभीर शब्द था, वह उनके लिए नारा मात्र नहीं था। इस विषय पर उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, 'क्रांति क्यों और कैसे?' उन्होंने लिखा है कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि जो राजनीतिक दल ब्राह्मणवादी संस्कृति के पोषक और वर्णव्यवस्था के हिमायती हैं, वे भी 'क्रांति अमर रहे', 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारे लगाते हैं। ऐसे लोग क्रांति का अर्थ नहीं जानते। वे नासमझ हैं। उन्होंने टायनबी के शब्दों में बताया कि क्रांति पतझड़ के बाद का बसंत है। यह पुरातन का विनाश और नूतन का विकास है। अगर आपने पुराने संस्कार नहीं छोड़े हैं, और आप बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप में क्रांति की कोई संभावना नहीं है।

वर्मा जी रामचरितमानस को न धार्मिक ग्रंथ मानते थे और न राष्ट्रवादी, बल्कि वह उसे ब्राह्मणवादियों का ग्रंथ मानते थे। वह कहते थे कि इस ग्रंथ को पढ़ने से ब्राह्मण की श्रेष्ठता अल्हढ़ मन पर बैठ जाती है और मंद बुद्धि के लोग ऐसा मानकर ब्राह्मणवादी शोषण के शिकार हो जाते हैं। 1974 में उत्तरप्रदेश के एक विधायक भूपकिशोर ने सदन में रामचरितमानस के पन्ने फाड़ दिए थे। तब अखबारों ने और ब्राह्मणों ने ऐसा माहौल बना दिया था कि जैसे देश संविधान से नहीं, बल्कि मानस से चल रहा था। और मानस को फाड़कर बहुत बड़ा देश द्रोह हो गया था। इस दुष्प्रचार के विरुद्ध जबर्दस्त मोर्चा वर्मा जी ने ही अर्जक में संभाला था।

आपको बताना चाहता हूँ कि विधायक भूप किशोर ने उत्तरप्रदेश विधानसभा में रामचरितमानस के पन्ने इसलिए फाड़े थे, क्योंकि इंदिरा गाँधी की सरकार पूरे देश में रामचरितमानस की चतुश्शती मना रही थी। तत्कालीन राष्ट्रपति वी.वी. गिरी 'रामचरितमानस चतुश्शती समारोह' के संरक्षक और प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी अध्यक्ष थीं। इंदिरा जी ने इस समारोह को एक करोड़ रुपया सरकारी कोष से दिया था।

इस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि रामस्वरूप वर्मा ने इस समारोह को रोकने के लिए चार साल पहले 1970 में ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखे थे। उन पत्रों का उल्लेख करना यहाँ बहुत जरूरी है, ताकि बहुजन समाज के लोग जान सकें कि वर्मा जी कितने प्रतिबद्ध, समर्पित और निर्भीक क्रांतिसर्जक थे। उन्होंने पहला पत्र 18 जून 1970 को भारत के राष्ट्रपति वी.वी. गिरी को लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, 'भारत का

अर्जक संघ ने अपने तीन सम्मेलनों में कुल मिलाकर 8 प्रस्ताव पास किए थे। ये 8 प्रस्ताव ही अर्जक संघ के मुख्य सिद्धांत और कार्यक्रम थे। ये 8 कार्यक्रम इस प्रकार थे–

- मानव-मानव की बराबरी का सिद्धांत।
- बराबर बैठो-बैठाओ, और 'जय अर्जक' का अभिवादन।
- प्रत्येक व्यक्ति को धर्म चुनने की आजादी।
- देश भर में एक सी शिक्षा पद्धति।
- आठवीं तक की शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क।
- अर्जक विवाह पद्धति को अपनाना।
- मृत्यु उपरांत सभी ब्राह्मणवादी संस्कारों का परित्याग।
- मानववादी त्यौहार।

संविधान धर्मनिरपेक्ष है। उसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को कई मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संक्षेप में भारत का संविधान मानव-मानव की बराबरी के सिद्धांत को स्वीकार करता है और स्त्री-पुरुष, शूद्र-ब्राह्मण, म्लेच्छ हिंदू जैसे अमानवीय अंतर की कल्पना भी नहीं करता। तब फिर आपने अमानवीय अंतर के प्रतिष्ठापक पंडित तुलसीदास की चौथी शताब्दी मनाने को संरक्षण कैसे दिया? क्या इससे देश के विशाल बहुमत को भारी ठेस नहीं लगती।'

क्या इतना साहस आज किसी बहुजन नेता में है, जो आज के राष्ट्रपति को लिख सके कि उन्होंने दस प्रतिशत आर्थिक आरक्षण और किसानों के हितों के विरुद्ध काले कानूनों पर हस्ताक्षर करके संविधान की अवहेलना क्यों की?

रामस्वरूप वर्मा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी को पत्र लिखा था, जो मानस चतुश्शती समारोह की अध्यक्ष थीं। यह पत्र उन्होंने 27 जून 1970 को लिखा था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था, 'यह जानकार मुझे दुख हुआ कि आपने भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते के बावजूद तुलसीदास जैसे साम्प्रदायिक व्यक्ति के चतुश्शती समारोह की अध्यक्षता स्वीकार कर ली।' उन्होंने आगे यहाँ तक लिखा कि 'पंडित तुलसीदास कि चतुश्शती मनाने में आपकी शिरकत इसलिए तो नहीं है कि आपने भी एक ब्राहमण परिवार में जन्म लिया, और पंडित तुलसीदास भी ब्राह्मण थे। अतः भारत में प्रायः मनाए जाने वाले बिरादरी के जलसों की भांति यह भी एक बिरादरी का जलसा आपने मान लिया हो। मेरी समझ में आप इसे स्वीकार नहीं करेंगी। यदि स्वीकार करें भी तो आपके लिए यह शोभनीय नहीं होगा, क्योंकि आप धर्मनिरपेक्ष भारतीय गणतंत्र की प्रधानमंत्री हैं और पंडित तुलसीदास ब्राह्मणवाद के प्रबल पोषक और तथाकथित सनातन धर्म के प्रचारक थे।'

इन पत्रों का कोई जवाब न मिलने पर वर्मा जी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पुनः पत्र लिखे। 6 अगस्त 1970 को अनुस्मारक पत्र में वर्माजी ने राष्ट्र्पति वी वी गिरी को लिखा, 'आपने मेरे पिछले पत्र का उत्तर नहीं दिया, इसलिए यह दूसरा पत्र भेजना पड़ रहा है। रामचरितमानस का चतुश्शती समारोह केवल ब्राह्मणवाद का प्रचार है और ब्राह्मणवाद का स्वरूप पूर्णतया साम्प्रदायिकता को उभारने वाला रामचरितमानस में दिया गया है। आपने भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की कसम खाई है, अतः आपके लिए किसी प्रकार भी ऐसे साम्प्रदायिक ग्रन्थ के समारोह में सम्मिलित होना अनुचित होगा, जो राष्ट्रीयता और भारत के संविधान के विपरीत विचार का प्रचारक हो।'

14 अगस्त 1970 को वर्मा जी ने इंदिरा गाँधी को भी अनुस्मारक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, मेरे पूर्व पत्र की पावती तो आपके निजी सचिव ने भेजी, परंतु उत्तर आज तक नहीं आया किंतु 10 अगस्त के समाचार पत्रों से पता चला कि आपने मानस चतुश्शती समारोह की अध्यक्षता स्वीकार कर ली और 9 अगस्त को आपने समारोह समिति के तत्वावधान में आयोजित सभा में पंडित तुलसीदास को श्रद्धांजलि देते हुए रामचरितमानस को विश्व ग्रंथ भी घोषित कर दिया। आपने यह भी कहा कि पंडित तुलसीदास ने सामाजिक न्याय और संभावना का सन्देश दिया है। मुझे यह कहने में संकोच का अनुभव हो रहा है कि आपने रामचरितमानस को कभी आद्योपांत पढ़ा ही नहीं है। जिन शब्दों में आपने रामचरितमानस की प्रशंसा की है, उससे स्पष्ट होता है कि जैसे कार से चलने वाले लोग पड़क पर आसमान की छत के नीचे लेटने वाले लोगों के कष्ट की ओर ध्यान नहीं देते, वैसे ही आपने ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर रामचरितमानस में व्यक्त शूद्रों के प्रति घृणा की ओर ध्यान नहीं दिया।' इसके बाद वर्मा जी ने रामचरितमानस की पूरी शव-परीक्षा करके पत्र में भेजी। इस शवपरीक्षा में यहाँ तक लिखा कि एक विधवा स्त्री के प्रति तुलसीदास की क्या गंदी सोच है, क्योंकि इंदिरा जी विधवा थी। पत्र का यह अंश इस प्रकार है

अर्जक संघ के मानववादी त्यौहार 11 हैं। इनके माध्यम से अर्जक संघ अर्जक समाज का सम्पूर्ण सांस्कृतिक रूपांतरण करना चाहता था। इसलिए उन्होंने अर्जक संघ के कार्यक्रम में मानववादी त्यौहारों को मनाने पर जोर दिया था। ये पर्व इस प्रकार हैं-

- गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)
- उल्लास दिवस (1 मार्च)
- चेतना दिवस (14 अप्रैल डॉ. अम्बेडकर का जन्मदिन)
- मानवता दिवस (बुद्ध जयंती)
- समता दिवस (1 जून, अर्जक संघ का स्थापना दिवस)
- स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)
- शहीद दिवस (5 सितंबर, जगदेव बाबू की शहादत दिवस)
- लाभ दिवस (1 अक्टूबर)
- एकता दिवस (13 अक्टूबर, सरदार पटेल का जन्म)
- शक्ति दिवस (जोतिबा फुले का जन्मदिन)
- विवेक दिवस (पेरियार रामास्वामी नायकर का जन्मदिन)

इनमें उल्लास दिवस और लाभ दिवस किसानों से जुड़े दिवस हैं।

'किसी स्त्री के तरुणाई में विधवा होने पर सहृदय व्यक्ति के दिल में एक करुणा अपने आप उमड़ पड़ती है किन्तु हृदयहीन तुलसी के दिल में ऐसी तरुण विधवा के प्रति गुस्सा उमड़ता है, यथा–'पति प्रतिकूल जनम जहं जाई, विधवा होइ पाय तरुणाई।' अर्थात, जो स्त्री पति के प्रतिकूल रहती है, वह जन्म लेकर जहाँ जाती है, वहाँ तरुणावस्था में विधवा हो जाती है।

पत्र के अंत में वर्मा जी ने इंदिरा जी से विनम्र अनुरोध किया कि वह रामचरितमानस चतुश्शती समारोह समिति की अध्यक्षता से आपने को अलग कर लें, और सारे देश में उसमें कोई सरकारी सहयोग न करें।'

तो ऐसे थे महामना रामस्वरूप वर्मा, ऐसे ही क्रांतिवीर नायकों से हमें प्रेरणा लेनी की जरूरत है। ▪

मो.- 9412871013

केंद्र व इलाहाबाद विवि की उदासीनता
पंत छात्रावास की बदहाल स्थिति

▪ *राधेश्याम गौतम*

देश की स्वतंत्रता के बाद सरकारी नौकरियों में आरक्षित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए छात्रावासों की व्यवस्था की गई, जिससे की आरक्षित वर्ग के छात्रों को कम खर्चे में पढ़ाई-लिखाई की मूलभूत सुविधाएँ मिल सके और सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। देश में कुछ संस्थानों का संचालन केंद्र सरकार के अधीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और राज्य सरकार में समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा भी आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए कोचिंग और आवासीय सुविधाओं वाले छात्रावासों की व्यवस्था की गई। कुछ समय तक तो इन संस्थानों को सरकार की मंशा के अनुसार व्यवस्थित तरीके से संचालित किया गया लेकिन धीरे-धीरे ये अव्यवस्था के शिकार हो गए। सरकार इनके संचालन के प्रति उदासीन हो गई। सरकारी ग्रान्ट रोककर इन्हें पंगु बना दिया गया। कुछ संस्थाएं कोर्ट के झमेले में उलझ गई और कुछ धनाभाव के कारण बंद पड़ी हैं। कुछ संस्थाओं पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर उसका व्यावसायिक उपयोग करना शुरू कर दिया है।

इलाहाबाद (वर्तमान प्रयागराज) में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राजेंद्र छात्रावास, ईश्वर शरण छात्रावास, आईएएस ट्रेनिंग सेंटर पंत छात्रावास है। राजेंद्र छात्रावास और ईश्वर शरण छात्रावास पूरी तरह से बंद है जिनमें कई वर्षों से एडमिशन तक नहीं हुआ। आईएएस ट्रेनिंग सेंटर पंत छात्रावास विगत कई वर्षों से बंद चल रहा है।

कभी सिविल सेवकों की फैक्ट्री हुआ करता था आईएएस ट्रेनिंग सेंटर पंत छात्रावास -

यह संस्थान सन् 1958 में तत्कालीन भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के निर्धन छात्रों को अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। जिसमें नि:शुल्क कोचिंग, निवास, खान-पान व पुस्तकालय की सुविधा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा शत प्रतिशत अनुदान पर किया गया था। जिसमें एक विशाल छात्रावास का निर्माण हुआ। इस छात्रावास में 80 कमरें, पुस्तकालय, भोजनालय, क्लास रूम तथा कार्यालय भवन हैं जो लगभग 20 एकड़ में फैला हुआ है। इस स्थायी संपदा के सृजन के फलस्वरूप भारत सरकार से संस्थान को विभिन्न 17 मदों में विभक्त अनुदान प्राप्त होता था। कर्मचारियों के वेतनमान के साथ-साथ शैक्षणिक तथा रख रखाव के खर्चे भी सम्मलित होते थे। इस प्रकार शत-प्रतिशत अनुदान 1997-98 तक जारी रहा ।

आईएएस ट्रेनिंग सेंटर पंत छात्रावास में कार्यालय संचालक लाल बहादुर रावत ने बताया कि 1998-99 से इस संस्थान को केंद्र सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में स्थानान्तरित कर दिया था। सभी अनुदान बंद करके केवल कोचिंग फीस, स्टाइपेन्ड और विज्ञापन फीस प्रदान करते थे और कर्मचारियों की जिम्मेदारी सितम्बर 2000 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया था। छात्रावास में लाइब्रेरियन रमेश कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि मंत्रालय द्वारा यह अनुदान सुचारू रूप से प्राप्त नहीं होने के कारण इस संस्थान के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। इस संस्थान से लगभग 500 से अधिक छात्र तथा छात्राओं का चयन अखिल भारतीय सेवा तथा राज्य सरकार की सेवा में हो चुका है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित आईएएस ट्रेनिंग सेंटर पंत छात्रावास देश के उन चुनिंदा संस्थानों में हुआ करता था जहां से बड़ी संख्या में एसटी/एससी वर्ग के छात्र सिविल सेवाओं में जाते थे। इस संस्थान से निकले बहुत से नौकरशाहों ने उच्च पदों पर बैठ कर देश की सेवा की है, प्रेम प्रकाश, संजय कोरी कुमार गुरुदीन, एस आर लाखा, टीके सीबू, आबिद समीम, रघुबीर कोहली, नितीश कुमार, राहुल कुमार, जैसे कुछ नाम है, जो प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी सेवाए दे रहे हैं। विभिन्न राज्य सेवा में तो यहाँ के अनगिनत छात्र चयनित हुए है, लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन के साथ ही आईएएस ट्रेनिंग सेंटर पंत छात्रावास अव्यवस्था का शिकार हो गया। लालबहादुर रावत ने बताया कि कई बार सम्बंधित मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्राचार करने के बावजूद भी वेतन नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस संदर्भ में विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र भी लिखा गया लेकिन अभी तक हमें वेतन नहीं मिला। छात्रावास में काम करने वाले रमेश रावत ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। ज्यादातर कर्मचारियों का छात्रावास के प्रति मोह भंग हो रहा है। कोरोना महामारी के दौरान छात्रावास को हास्पिटल में बदलने की योजना थी कई कमरों की सफाई भी की गई लेकिन निकट में सैन्य आवास होने के कारण योजना को कार्य रूप नहीं दिया गया। छात्रावास में पिछले 15 वर्षों से माली का काम कर रहे मोनू ने बताया कि छात्रावास के कर्मचारियों को कई वर्षों से वेतन नहीं मिलाने के कारण ज्यादातर कर्मचारी छात्रावास छोड़कर जा चुके है। छात्रावास का संचालन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है, यह विश्वविद्यालय की सवर्णवादी नीतियों का शिकार हो गया। छात्रावास की जमीन पर विश्वविद्यालय प्रशासन आँखे जमाये हुए बैठा हुआ है। यहाँ के छात्रों को कई बार आंदोलन करना पड़ा। अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कौशाम्बी से सांसद विनोद सोनकर के हस्तक्षेप से विश्वविद्यालय प्रशासन की नहीं चली, वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका लेकिन छात्रावास में कम करने वाले कर्मचारियों की समस्या यथावत बनी हुई है। ▪

मो.- 8858839207

इलाहाबाद से प्रयागराज के पथ पर

■ *मैत्रेयी सिंह / सुनील कुमार सुनील*

खीचों न कमान, न तलवार निकालो।
जब तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालो।

अकबर इलाहाबादी ने जब यह कहा होगा तो यह नहीं सोचा होगा कि उसका इलाहाबाद प्रयागराज बन जाएगा। प्रयागराज, अपने गौरवशाली अतीत एवं वर्तमान के साथ भारत के ऐतिहासिक एवं प्राचीन नगरों में से एक है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन एवं ईसाई समुदायों की मिश्रित संस्कृति का शहर है। इस बात की गवाही इसके मोहल्ले देते है कि प्रयागराज जहाँ ऊँच नीच,ब्राह्मण दलित,मुस्लिम ईसाई सबका है।

प्रयागराज, जो आज से कुछ समय पूर्व इलाहाबाद नाम से जाना जाता था। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, पर अधिकतर प्रतिष्ठानों के नाम के सामने भले ही प्रयागराज का बोर्ड लग गया हो,रेलवे स्टेशन का प्रयागराज जंक्शन, जिला कार्यालय प्रयागराज तो हो सकता है, प्रयागराज का कुंभ तो प्रचारित किया जा सकता है लेकिन उसका क्या होगा जो लोगों के दिलो दिमाग में बैठ चुका है, इलाहाबाद एक विचारधारा और जीवन शैली बन चुका है, आज भी लोगों के जुबान से इलाहाबादी स्टाईल शब्द सुना जा सकता है। आज भी लोगों के जेहन से इलाहाबाद नहीं गया है। इलाहाबादी अमरुद, इलाहाबादी आम और प्रसिद्ध शायर अकबर इलाहाबादी का क्या होगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो अंतरराष्ट्रीय पहचान स्थापित करता है और अंतरराष्ट्रीय अभिलेखों में दर्ज है उसका क्या होगा? इलाहाबाद से प्रयागराज तक का सफर तय कर चुके है लोगों के दिलोदिमाग में कहाँ तक इलाहाबाद बसता है हम इसकी पड़ताल करेंगे।

» क्या क्या बदला

अक्टूबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर

दिया। इलाहाबाद के लगभग सभी प्रतिष्ठानों के नाम बदल गये। कई स्थानों पर तो सिर्फ इलाहाबाद के स्थान पर प्रयागराज का स्टीकर चिपका दिया गया। स्थायी नाम पट्टिकाओं पर इलाहाबाद के ऊपर पेंट लगा कर प्रयागराज लिख दिया गया।

» क्या क्या नहीं बदला

इलाहाबाद में ही कई ऐसे प्रतिष्ठान है जिनके नाम अभी तक नहीं बदले गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद हाई कोर्ट अभी भी अपनी पहचान बनाए हुए है। बस उनके नाम के नीचे जिले के स्थान पर प्रयागराज लिख दिया गया है।

» बसावट का नामकरण

बसावट की प्रक्रिया में बाद, पुर, गंज, गढ़ आदि होता है। जब कोई शहर आबाद होता है तो वह गाजियाबाद होता है, फरीदाबाद होता है, मुरादाबाद होता है या फिर इलाहाबाद होता है। ऐसे ही गंज के साथ होता है, रॉबर्ट्सगंज, मीरगंज,शाहगंज या लालगंज होता है। पुर की तो देश मे भरमार है रामपुर, जयपुर, उदयपुर, गाजीपुर आदि। इसी तरह गढ़ लिए कई बसावटें आबाद हुई जैसे आजमगढ़,अलीगढ,रायगढ़, बल्लभगढ़, प्रतापगढ़ आदि। दक्षिण भारत में

इतिहास

इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयाग था। प्रयाग जहाँ विभिन्न जातियों के घर तो थे ही,दलितों, बुनकरों, व्यापारियों की बस्तियां भी थी। हिंदुओं और मुसलमानों के लिए जितने महत्व का था उतने ही महत्व का बौद्धों के लिए था। चीनी बौद्ध यात्री व्हेंसांग हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आया, उसने लिखा की गंगा यमुना के संगम पर हर्ष वर्धन प्रति बारह वर्षों के अन्तराल पर सभी धर्मों की का एक सम्मलेन आयोजित किया करता था, इस सम्मलेन को संगम नाम से जाना जाता था। सम्राट अकबर ने यहाँ दीन-ए-इलाही की स्थापना की और इसका नाम इलाहाबास रखा। बाद के ब्रिटिश अभिलेखों में यह इलाहाबाद नाम से दर्ज हुआ और इलाहाबाद कहा जाने लगा।

पल्ली नाम से शहरों की बसावट हुई है जैसे त्रिचनापल्ली, गौतामपल्ली आदि। उत्तर भारत में गाँवो और मुहल्लों की बसावट अक्सर देसी और सहज होती है। जो पुर, पारा, गंज या फिर और कोई देशज शब्द वा, आना, ताना लिए हो सकती है, ऐसा अक्सर जातियों बाहुल्य जगहों के साथ होता है जो पहचान होती है और धीरे धीरे नाम मे बदल जाती है। हाजीपुर, कादीपुर, राजवापुर, पुरवा, डिहवा, अहिराना, खटिकाना, पण्डिताना आदि। देशज में अम्बरी, डढ़िया, भरमा, माहुल, देहरी, गुलरा, कोहड़ा, गोधना जैसे सहज शब्द लिए नाम हो सकते है।

20 वर्ष पूर्व इलाहाबाद के मुहल्लों का नाम निरपेक्ष हुआ करता था जिसमें गंगा जमुनी तहजीब की झलक मिलती है, जो बिना किसी पूर्व नियोजन के रखे गए थे बघाड़ा, ढरहरिया, बेली, सलोरी, तेलियरगंज, गल्लामंडी, ऊंटखाना, बड़ी बगिया, मलका, कीडगंज, करेली, बैरहना, अलोपीबाग। ये ऐसे मोहल्ले हुआ करते थे जो लोगों द्वारा एक दूसरे से कहने और सुनाने के क्रम में विकसित हो गये।

लगभग 20 वर्षों से नामकरण का नया दौर चला गंगापुरम, कालिंदीपुरम, शांतिपुरम या फिर त्रिवेणीपुरम। इससे पहले इलाहाबाद में कोई भी मुहल्ला पुरम् नाम से नहीं हुआ करता था। नाम रखने की परंपरा में संस्कृत शब्दों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग हुआ। ओम गायत्री नगर, गोविंदपुर, जैसे नामों में ब्राह्मणी संस्कृति के प्रभाव को स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। इलाहाबाद में उर्दू और अंग्रेजी प्रभाव लिए मुहल्लों के नाम हुआ करते हैं, अल्लाहपुर, दारागंज, खुल्दाबाद, शाहगंज, सुबेदारगंज, मीरापुर, लूकरगंज, जार्ज टाउन, मेयोहाल, कर्नलगंज, मम्फोर्डगंज, जानसेनगंज आदि।

» नाम को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया

नाम बदलने को ले कर यहाँ के बासिंदे क्या सोचते है इस संदर्भ में जब हमनें चन्द्रशेखर से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि जैसे हम इलाहाबाद ने रहते थे वैसे ही प्रयागराज में है। हमारी जीवन शैली में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब भी हम दिन भर संघर्ष करते थे, आज भी संघर्ष करते हैं, बल्कि हम इलाहाबाद कहने में सहज महसूस करते हैं। आज भी कोई हमसे पूछता है तो इलाहाबाद ही बताते है। इलाहाबाद और प्रयागराज के लिए जब हमने छात्र मनोज सोनकर से बात की तो उन्होंने कहा कि आज भी हमारे गावं में लोग इलाहाबाद कहते हैं और हम लोगों को इलाहाबादी कहते हैं।

इलाहाबाद के प्राण कवि कहे जाने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता - वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर--। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जयसिंह कहते हैं क्या निराला की इस कविता में अब वह प्रयागराज के पथ पर पत्थर कैसे तोड़ेगी? धर्मवीर भारती के गुनाहों के देवता के उस काव्य सौंदर्य का क्या होगा जो इलाहाबाद में रच बस गया है।

प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली बसों में भले ही प्रयागराज का बोर्ड लग गया हो लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी लोग आज भी इलाहाबाद के नाम पर ही टिकट मांगते है। आजमगढ़/अंबेडकर नगर से आने वाली बस कल्लू बस सर्विस के मालिक हरीश ने बताया कि शायद ही ऐसा कोई हो जो प्रयागराज बोले, अभी भी लोगों के जबान पर इलाहाबाद ही है, इलाहाबाद नाम से ही लोग टिकट लेते है। प्रयागराज बोलते पर भी लोग इलाहाबाद नाम बोलकर कन्फर्म करते हैं कि बस उनके गन्तव्य ही जा रही है।

तुलसी दास की पंक्तियाँ को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ।पर अपना मत व्यक्त करते हुए शोध छात्र धर्मेन्द्र कहते हैं कि पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव (महत्व-माहात्म्य) कौन कह सकता है। लेकिन प्रयाग राज में कोई प्रभाव नहीं चलता है कालांतर में प्रयागराज एक ऐसे स्थान के रूप में उभरा जो पापों को वैधता प्रदान करता है, एक ऐसा स्थान जहां से लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। चोरी बेईमानी ठगी करके प्रयाग में गंगा में स्नान करके पुनः पाप मुक्त हो जाते हैं, इस रूप में प्रयाग नकारात्मक ही रहा जिसने की समाज में पापों को वैध बनाया और प्रयागराज पाप मुक्त करने वाले गिरोहों के एक अड्डे के रूप में विकसित हुआ।

» उत्तर प्रदेश में नाम को लेकर राजनीति का दौर चल रहा है

विलियम शेक्सपियर का कथन that which we call a rose by any other name would smell as sweet का मतलब गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो वो वैसी ही सुगंध देगा। सपाट अर्थो में नाम में क्या रक्खा है। उन्होंने नाम की जगह गुण को प्राथमिकता दी लेकिन नाम से फर्क तो पड़ता ही है यदि फर्क न पड़ता तो नाम बदलने की जरुरत ही क्या पड़ती? इलाहाबाद से प्रयागराज न किया गया होता जब कि इलाहाबाद एक जीवन शैली बन चुका हो, पहचान बन चुका हो।

» नाम में रक्खा है

पिछले कुछ दिनों से नाम स्थानों का नाम बदलने का तो फैशन ही चल पड़ा है, फैजाबाद का अयोध्या हो गया तो मुगल सराय का पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, इलाहाबाद का प्रयागराज बन गया। आखिर नाम बदलने की जरुरत क्यों आन पड़ी। दुनियां आज जब आगे की ओर जा रही है भविष्य को ध्यान में रखकर नाम रखे जा रहे हैं हमारे ही देश में दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में सयबराबाद जैसे आईटी से जुड़े शब्द के नाम पर मोहल्ले बसाए जा रहे। ऐसे में क्या जरुरत आन पड़ी कि अतीत में जा कर इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा जाए।

इलाहाबाद से प्रयागराज नाम परिवर्तन में करोडो रुपये खर्च हुए होंगे, इन रूपयों से इलाहाबाद की भौतिक काया बदली जा सकती थी। जिले के कई मुहल्लों में पक्की पड़कें, नालियां बनायीं जा सकती थी। साफ सफाई और अन्य विकास के काम किये जा सकते थे। बस नाम ही बदला है बाकि प्रयागराज में सब कुछ वैसे ही है जैसे इलाहाबाद में था। इलाहाबाद को प्रयागराज बना कर भले ही पीठ थपथपाई जा रही हो लेकिन नाम बदलने के साथ ही इलाहाबादियत मर गई। नाम परिवर्तन के साथ

उसकी पहचान के साथ खिलवाड़ हुआ है, एक बार फिर से इलाहाबाद को बदलकर प्रयागराज करके सनातन परंपरा को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है लेकिन अब उस परंपरा में न तो लोगों का उतना विश्वास रह गया और न ही आस्था। धीरे-धीरे इस विश्वास और आस्था ही जगह वैज्ञानिकवाद और तर्कवाद ने ले लिया है। अब पाप पुण्य का हिसाब गंगा स्नान से नहीं भारतीय संविधान से होता है यदि आप ने पाप किया है तो कानून के दंड विधान से आप मुक्त हो सकते हैं न कि गंगा स्नान से।

इलाहाबादी जीवन की अष्टांगिक विशेषताएं

इलाहाबादी बकैती / भौकाल और मठाधीश

बकैती/भौकाल इलाहाबाद का पेटेंट शब्द है, आठ बाई दस कमरे में रहने वाला इलाहाबाद का हर छात्र भले ही हवाई जहाज में न बैठा हो लेकिन हवाई जहाज उड़ाने की तकनीकी आसानी से बता देगा। इसका आदर्श स्थान चाय की दुकान होती है या रात को खाना खाने के बाद लाज की छत होती है। बकैती में मठाधीशों की विशेषज्ञता होती है। इलाहाबादी जीवन में मठाधीश का पद सर्वोच्च होता है यह बौध धर्म के अर्हत पद के सामान होता है। मठाधीश पद तक पहुँचते-पहुँचते जीवन के लगभग समस्त विकार मिट चुके होते हैं।

इलाहाबादी लाज

आठ बाई दस के कमरों का संमुच्चय जहाँ एक युवा की सम्पूर्ण गृहस्थी होती है, तीन बाई छह के दो तहत्, एक/दो मेज कुर्सियां और एक किचन, जिसमें एक गैस चूल्हा और डालडा की दो कनस्तरों में गेहूं और चावल और बांस की एक रैक में सात-आठ छोटे डिब्बे होते है जिसमें नमक, चीनी, दाल, हल्दी,आचार और तेल होता है। जहाँ संत रूप में जिंदगी के 10 से 15 साल आराम से गुजर जाते हैं।

दाल-भात और चोखा

एक तरह से यह इलाहाबाद का सर्वमान्य राजकीय खाद्य है। हफ्ते के सातों दिन और महीने भर दोपहर में इलाहाबाद में खाया जाने वाला प्रिय खाद्य है। दाल फ्राई और चोखे को तेल में भूनकर भी अनूठे प्रयोग किये जाते हैं। दोपहर में कभी-कभी अपवाद स्वरुप कढ़ी चावल का भी चलन इलाहाबाद में बढ़ा है। इलीट वर्ग के छात्रों द्वारा आज कल के लंच में सलाद को भी शामिल किया जा रहा है।

इलाहाबाद की चाय और दोपहर का सोना

यदि दाल-भात और चोखा को राजकीय खाद्य माना जाय तो चाय को इलाहाबाद का राजकीय पेय मानना पड़ेगा। चाय के दो आदर्श समय हैं, सुबह की चाय और शाम की चाय। अमूमन यह स्थानीय अड्डों पर होती है जिसका एक तय रेट है डिस्पोजल पेपर की चाय पांच रूपये और कुल्हड़ चाय छः रुपए में है। सुबह की चाय का वक्त आठ बजे के आस पास होता है जो दस से साढ़े दस तक होता है। शाम की चाय का दौर छ बजे से लेकर साढ़े सात बजे तक का होता है। सीनियर छात्रों के लिए यह साढ़े सात बजे के बाद ही शुरू होता है जो साढ़े नौ तक चलता है, ऐसा अमूमन जूनियर छात्रों से बचने के लिए होता है। लंच के बाद सोने का वक्त होता है, जिसकी अवधि दो घंटे की होती है जो लगभग एक बजे से 4 बजे के बीच का होता है।

सिविल सेवा की तैयारी

किसी भी तैयारी के लिए इलाहाबाद आया छात्र अपने इलाहाबादी जीवन में सिविल सेवा की तैयारी करता ही करता है समय बीतने के साथ साथ उसकी प्राथमिकताएं भी बदलने लगती है, सबसे पहली प्राथमिकता आईएएस या पीसीएस की होती है धीरे धीरे वह टीजीटी और पीजीटी तक है, बेरोजगारी का दौर लंबा चल जाए तो प्राथमिक शिक्षक में चयन पर भी संतोष कर लेता है, चयन होने पर उसके मुंह से निकलता है कि बेरोजगारी के दंश से मुक्ति मिली।

बूढ़े होते जवान

इलाहाबाद जवानी की कब्रगाह है। पूर्वांचल में व्यंग रूप में कहा जाता है कि बैल को बधिया करने की क्या जरुरत है उसको इलाहाबाद भेज दो।

आशा छाप सुर्ती और बरगद के पत्तो में मिलनेवाला गुटखा और पान

इलाहाबाद में इसे बीबीसी के नाम से जाना जाता है इलाहाबादियों के बीच जिसका अर्थ बुद्धि वर्धक चूर्ण होता है। एक दूसरे से मुलाकात के दौरान शिष्टाचार रूप में बीबीसी से ही स्वागत किया जाता है। यह इलाहाबाद की एक विशेष पहचान है। इलाहाबाद से जाने वाला पान और गुटखे का शौकीन हर व्यक्ति इसे याद रखता है।

खरीददारी

इलाहाबाद में खरीददारी का सबसे प्रमुख क्षेत्र कटरा है और अधिक लंबी खरीददारी के लिए चौक क्षेत्र मुफीद होता है। छात्र जीवन में जहाँ किसी को एक अंडरवियर अथवा एक जोड़ी चप्पल ही क्यों न लेनी हो तीन या चार के समूह में लोग जाते हैं। मोल भाव तो इलाहाबादियों का विशेष गुण होता है चाहे दुकानदार पांच रूपये ही छोड़े लेकिन छोड़े जरूर। ▪

मो.- 9451887671

इलाहबाद के 10 नए अड्डे

▪ धैर्य मित्र सिंह

पंडित जवाहर लाल नेहरु और फिराक गोरखपुरी के जमाने में बुद्धिजीवियों के चर्चा और परिचर्चा का केंद्र इंडियन काफी हॉउस हुआ करता था, एक हाथ में काफी का कप और दूसरे में सिगरेट हुआ करती थी। तब और अब भी यह आम लोगों की पहुंच से बाहर है क्यों की सिविल लाइंस क्षेत्र इलाहाबाद के महंगे स्थानों में से एक है। कभी-कभी के लिए तो यह ठीक है लेकिन रोज के लिए यह संभव नहीं है। समय के साथ साथ इलाहाबाद में कुछ नये अड्डों का विकास हुआ, अड्डों से हमारा मतलब बस अड्डा नहीं बल्कि वे स्थान जहाँ- जहाँ अब लोगों का जमावड़ा होता है-

- लल्ला चुंगी-इश्क मिजाज लोगों का यह बहुत पुराना अड्डा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास के निकट होने के कारण पहले से यहाँ जमावड़ा लगता रहा है। गूगल मैप पर भी पिया मिलन चौराहा (पीएमसी) के

नाम से आ गया है।
- बालसन चौराहा- 2013 में हुए त्रिस्तरीय आरक्षण आंदोलन के परिणाम स्वरूप बालसन चौराहा छात्रों के विरोध प्रदर्शन के नए स्थल के रूप में उभरा है। कोरोना काल से पूर्व यहाँ इलाहाबाद की छात्र राजनीति से जुड़े लोगों का जमावड़ा लगता था।
- एलनगंज चौराहा - छोटा बघाड़ा, रामप्रिया और एलनगंज के छात्रों का मिलन स्थल होने के कारण विगत वर्षो में यह एक बड़ा केंद्र बन करा उभरा है। एलनगंज में चौराहे की एक बड़ी विशेषता है कि युवतियां भी चाय की दुकानों पर चाय पीती नजर आ जाएँगी। आज से कुछ वर्षों पूर्व ऐसा संभव ही नहीं था कि कोई लड़की चाय की दुकान पर चाय पी ले।
- आईईआरटी के समीप अंबेडकर तिराहा–सलोरी, बड़ा बघाड़ा और चैथम लाईन का मिलन स्थल होने के कारण यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोगों के एक नए ठहराव के रूप में उभरा है। पास में आईएएस ट्रेंनिग सेंटर पंत छात्रावास, राजकीय छात्रावास और आईईआरटी के छात्रावास होने के कारण बुद्धिजीवी विमर्श के एक नए केंद्र के रूप में उभरा है।
- सलोरी क्षेत्र में स्थित बहादुर और श्याम बाबू की चाय की दुकान– बहादुर चाय की दुकान क्षेत्र की पुरानी दुकानों में से एक है, जहाँ चाय की चुस्कियों के साथ छात्र आपस में बातचीत किया करते है, यहाँ होने वाली बातें सीमित दायरे में हुआ करती है सिर्फ और सिर्फ कम्पीटीशन की बातें होती है। श्याम बाबू की चाय की दुकान का दायरा बढ़ जाता है यहाँ पर पुरानें छात्रों द्वारा कुछ सामाजिक विमर्श पर भी बातें हो जाती है।
- अपट्रान चौराहा– अपट्रान चौराहे पर मोतीलाल इंजिनियरिंग कालेज के छात्रवास के निकट होने के कारण अधिकतर बच्चे तकनीकी पृष्ठभूमि के होते है, जिनका सामाजिक विमर्शो से कोई खास ताल्लुकात नहीं होता है।
- लक्ष्मी चौराहा - कटरा के लक्ष्मी टाकीज के निकट होने के कारण यह काफी भीड़भाड वाला क्षेत्र हुआ करता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावासों का प्रभाव अधिक होने के कारण आम छात्रों की अधिक रूचि यहाँ नहीं होती है।
- अल्लापुर का लेबर चौराहा और नेता चौराहा– लेबर चौराहे से कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है यहाँ सुबह मेहनतकश मजदूरों तो शाम को बुद्धिजीवियों का जमावड़ा होता है। नेता चौराहा जैसा की नाम से ही स्पष्ट है यह राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का महत्वपूर्ण गढ़ है।
- छोटा बघाड़ा की श्यामू चाय की दुकान–छोटा बघाड़ा विशेषकर पूर्वांचल के विभिन्न जिलों जौनपुर,आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, बलिया के छात्रों का विशेष गढ़ है, यहाँ पर इक्कट्ठा होने वाले बुद्धिजीवियों का विमर्श का विषय पूर्वांचल की राजनीति ही अधिक होती है। चूँकि यहाँ इकठ्ठा होने वाले लोग सजातीय अधिक होते है जिसके चलते विषय सीमित दायरे में होता है हालांकि बघाड़ा का यह केंद्र कई सामाजिक आंदोलनों के सूत्रपात की जननी रहा है। ▪

मो.- 8009066073

आखिर थमता क्यों नही किसान आंदोलन

▪ *डॉ. संगीता वर्मा*

भारत की वर्तमान सरकार द्वारा किसानों और उनके द्वारा उठाए जाने वाली फसलों के संदर्भ में जो बिल पिछले कई महीनों से विवाद बना हुआ, उसे हम कृषि बिल 2020 के तौर पर जानते हैं। इस बिल की एक मुख्य बात है कि इसमें किसानों की चिंता को बढ़ते हुए एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया, ऐसा आंदोलन जो आज भी अनवरत जारी है। सरकार के हर संभव प्रयास के बावजूद इस आंदोलन को दबा पाने में चाहे जितनी एड़ी चोटी का जोर लगाती रही परंतु आंदोलन व कृषि विरोध को रोक पाने में सरकार नाकाम रही। इस आंदोलन की विकरालता और दृढ़ता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना महामारी के दौर में जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलना तो दूर अपने घरों से निकल भी नहीं रहा था ऐसे में संपूर्ण भारत विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन में अपने विरोध प्रदर्शन को लेकर। महीने से निडरता पूर्वक डटे हुए हैं। निश्चित तौर पर 7 महीने तक चलने वाला यह आंदोलन आजाद भारत का सबसे बड़ा और प्रभावी आंदोलन है, जिसे रोक पाने में सरकार नाकामयाब साबित हो रही है। देखा जाए तो इस बीच सरकार ने किसान आंदोलन को दबाने के लिए साम,दाम,दंडभेद जैसे सारे तिकड़म आजमा लिए। छात्रों और छात्र संगठनो के नेता,सोशल एक्टिविस्ट्स व अन्य हजारों महत्वपूर्ण लोगों पर तमाम तरह की कानूनी धाराएँ थोपते हुए उन्हें जेल में डाल दिया पर भी वह आंदोलन के विरोध के स्वर को दबा पाने में नाकामयाब साबित हो रही है क्योंकि यह आंदोलन जमीन और अन्न उपजाने वाले किसानों के जीवन-मरण से जुड़ा है इसीलिए वे कृषि बिल के विरोध में पीछे हटने वाले नहीं। यहाँ तक कि कोरोना महामारी का भी पासा फेंका भी किसान आंदोलन को नहीं रोका जा सका।

आखिर ऐसा क्या बिल लाया गया सरकार के द्वारा जिसके विरोध में जान की कीमत गँवाना भी मंजूर है, हमारे भारतीय किसानों को। आइए समझते है इस बिल के मुख्य बिंदुओंऔर इसके पीछे के इतिहास को जिसके लिए न तो सरकार पीछे हटने और बिल वापस लेने को तैयार है और न ही किसान। गौरतलब है कि पिछले कई दशकों से किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य(एम.एस.पी.) जिसकी वजह से बड़े स्तर पर किसान वर्ग का बड़े और कारपोरेट व्यापारियों द्वारा शोषण हो रहा है जिसको लेकर किसानों ने कई बार सरकार के सामने इसमें राहत देने की मांग रखी। परंतु किसानों को राहत देने के बजाय उनके हाथ कृषि कानून-2020 लाकर जहां बांध दिए वहीं इसके शोषण के रास्तों को कारपोरेट घरानों के लिए पूर्णतः खोल दिया जिसने किसानों के

विजय कुमार देवव्रत

पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार कृषि बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद इन क्षेत्रों में कृषि कानूनों का व्यापक विरोध नहीं हुआ, राजनीतिक रूप से विभिन्न दलों द्वारा इसका विरोध तो किया गया, लेकिन आम किसान इसमें शामिल नहीं हुआ। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार 'देवव्रत' ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की कृषि निर्वाह कृषि है, जोतें छोटी हो गई हैं, जागरूकता कम है, सूचनाओं का अभाव हैं। ज्यादातर लोग अपने ही खेतों में मजदूर हो चुके हैं, पैसे और समय दोनों का अभाव है, जिसके कारण लोग वे बहुत लंबे समय तक आंदोलन नहीं कर सकते। उनके और उनके परिवार के सामने रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में किसान संगठनो का अभाव होना है और जो किसान संगठन है वो मृतप्राय स्थिति में है इसके साथ ही साथ पश्चिम और पूर्व का किसान अपने आप को एक दूसरे से अलग समझता है उनको आपस में जोड़ने वाली कोई कड़ी नहीं है। राजनैतिक संगठनों द्वारा में दिल्ली में किसानों के समर्थन में आंदोलन तो हुए लेकिन लोग उसे राजनैतिक मान बैठे जिसका बहुत व्यापक असर नहीं हुआ।

अखिलेश एडगर

छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन का स्वरुप उत्तरभारत के मुकाबले विरोध का स्वर यहाँ कम दिखाई देता हैं। छत्तीसगढ़ के सामाजिक चिंतक एवं कार्यकर्ता अखिलेश एडगर के अनुसार यहाँ के किसान अपने हक एवं अधिकार को लेकर कभी भी एकजुट होकर आंदोलित नहीं हुए। इसकी बड़ी वजह ये है यहाँ प्राकृतिक विपदा का प्रभाव नहीं के बराबर है, बाढ़ भीषण सूखा या फसलों में भयानक बीमारी का प्रभाव बहुत ही कम है इस कारण से यहाँ धान की अच्छी पैदावार हो जाती है। यहाँ खरीफ एवं रबी दोनों फसलों में धान का अधिक उत्पादन होता है। फलों या अन्य व्यवसायिक फसलें यहाँ के किसान नहीं के बराबर लेते हैं। यहाँ के किसानों की सोच न व्यापक और न ही व्यवसायिक है। तात्कालिक लाभ को देखते हैं, दूरगामी या व्यापक सोच नहीं रखते हैं और न ही अधिक महत्वकांक्षी है अपने कम उत्पादन में ही संतुष्ट कर लेते हैं। किसानों द्वारा उत्पादित धान की फसल को सरकार एमएसपी में खरीदती है और किसानों को बोनस भी देती है जिससे किसानों को तात्कालिक लाभ मिल जाता है और वो संतुष्ट हो जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून को लेकर यहाँ के किसानों को किसी ने समझाया नहीं जिस कारण से यहाँ के किसान इस कानून को नहीं समझ पाए जिसके आने वाले खतरों को भी नहीं भाप पाए अंततः यहाँ के किसान आंदोलित नहीं हो पाए जिस तरह से किसान आंदोलन उत्तर भारत में व्यापक रूप से दिखता है।

'सामने' करो या मरो जैसी परिस्थितियां पैदा कर दी। इसी देशव्यापी समस्या को लेकर देश भर के किसान एकजुट हो आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं।

सरकार द्वारा सितंबर 2020 में तीन कृषि बिल आनन-फानन में सांसद द्वारा पास किये गए जिसमें -

1. किसानों की उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक-2020
2. मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा विधेयक,
3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक-2020

इस बिल के साथ आईए समझते है, इस कानून के विरोध के बिंदुओं को-

- सरकार के अनुसार पहले कानून के अंतर्गत किसानों के लिए खुली मंडी की व्यवस्था बनाई जिससे किसानों को देश के भीतर किसी भी राज्य में अपनी फसल या उत्पादित वस्तु को बेचने का अधिकार दे दिया गया है।
- मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा विधेयक-2020 को यह कह कर लाया गया कि इसके द्वारा किसान वर्ग कांट्रेक्ट फार्मिंग कर सकते हैं अर्थात वे अपनी फसल बेचने से पूर्व ही बड़े व्यावसायिकों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं व किसी भी छोटी बड़ी फर्म के साथ संविदा (कांट्रेक्ट) कर सकते हैं और उसके दाम सुनिश्चित कर सकते हैं।
- आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020-इसके अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के भंडारण की सीमाओं को हटाते हुए अनाज, दाल,तिलहन, प्याज और आलू जैसी महत्त्व की वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं को सूची से बाहर कर दिया गया।

विरोध का कारण-

कृषि बिल-2020 के द्वारा ए.पी.एम.सी(एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी) कमेटी द्वारा निर्मित 'बाजार क्षेत्र' के बाहर जाकर उत्पादित वस्तुओं की खरीद-बिक्री जैसे नियमों से किसानों को मिलने वाली एम.एस.पी.(न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि तब व्यापारी व कारपोरेट वर्ग टैक्स बचाने व अधिकाधिक मुनाफा कमाने की नीयत से बाजार क्षेत्र के बाहर खरीद-बिक्री करना चाहेगा जिससे उसे तो फायदा होगा परंतु किसानों के लिए घाटे का सौदा होगा।

वहीं दूसरी ओर 95 प्रतिशत किसान जहां 'बाजार क्षेत्र' पर निर्भर है जहां एपीएमसी द्वारा काफी हद तक नियमन और नियंत्रण रहता है, परंतु इससे बाहर बाजार पर यह लागू नहीं होता। नई कृषि बिल-2020 द्वारा एम.एस.पी के बाहर खरीद बिक्री को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि वहां टैक्स प्रणाली लागू नहीं तो इससे व्यापारी वर्ग 'न्यूनतम मूल्य, अधिक मुनाफा' की कोशिश करेगा जिससे किसानों का अधिक शोषण होना तय है। इसका एक अन्य नकारात्मक परिणाम होगा कि इस कृषि दिल से कृषि उद्योग का पूर्णता कारपोरेटाइजेशन हो जाएगा जो आम आदमी के बजट को बुरी तरह प्रभावित करेगा।

सरकार द्वारा असंवैधानिक तरीके से पीछे के चोर दरवाजे से लाए गए इस बिल का विरोध छोटे किसानों के साथ ही बड़े स्तर के किसानों और कई किसान संगठनों द्वारा किया गया जिसमें भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन प्रमुखता से शामिल हैं।

किसानों की समस्या-ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1947 में देश आजाद होने के बाद और उससे पूर्व ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत कृषि प्रधान देश ही बना रहा जिसमें देश की लगभग 85 फीसदीआबादी इसमें लगी थी परंतु औपनिवेशिक शासन की शोषणकारी नीतियों जिसमें भू व्यवस्था प्रणाली प्रमुख थी; के कारण कृषि क्षेत्र व उत्पादन में गिरावट देखी गई। इससे किसानों का भी शोषण होता था जिससे वे जमींदारों और व्यापारियों के बड़े-बड़े कर्ज में डूब गए। क्योंकि किसान इन्ही के माध्यम से अपनी फसलों को बाजार में बेचा करते थे। तत्कालीन कांग्रेस ने किसानों के ऋण, उत्पादन व वितरण संबंधी समस्या

से बचाने के लिए एक तरीका निकाला, जिसे 1965 मेंए.पी.एम.सी(एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी) का गठन किया। इसके तहत राज्य स्तर पर 'बाजार क्षेत्र' बनाने की योजना गठित की जिसपर ए.पी.एम.सी का नियंत्रण होगा। अर्थात इस कमेटी के रहते हुए कोई भी व्यापारी या किसान अपने उत्पादन को बेचने या खरीदने के लिए नियंत्रित होगा। साथ ही व्यापारियों को यदि किसानों से खरीददारी करनी है तो उसे सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। ऐसा करने से बाजार क्षेत्र के अंतर्गत खरीद और बिक्री का सारा नियंत्रण सरकार के हाथों में आ गया। इसके अलावा सरकार द्वारा किसानों की उत्पादित फसल, सब्जी, फल आदि की खरीद-बिक्री पर 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' तय करने की नीति बनाई। इसके अंतर्गत न्यूनतम मूल्य जिसमें नीचे व्यापारी किसानों से मोल-भाव न करें ताकि उन्हें आर्थिक शोषण से बचाया जा सके। इससे किसानों को थोड़ी सी राहत मिली किन्तु बाद के दिनों में ए.पी.एम.सी की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई और बाजार पर उनका पूर्ण नियंत्रण या एकाधिकार कायम हो गया जिसनें किसानों के लिए भारी मुश्किलें पैदा कर दी। इन्ही समस्याओं को लेकर किसानों ने कई बार विरोध जताया परंतु उसका जब कोई सरकारी समाधान नहीं हुआ तो बड़ी मात्रा में कर्ज के बोझ के चलते किसान आत्महत्या जैसी घटनाएं घटने लगी। ▪

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान किसानों के हित के लिए गए निर्णय के बारे में जो कहा था

▪ *अतुल कुमार*

1. 'पीएम कृषि उडान योजना' के द्वारा उनका सामान हवाई जहाज से दूसरी जगह पहुच सकता है, जैसे हम नार्थ-ईस्ट का उदाहरण लें। नार्थ-ईस्ट में इतनी बढ़िया-बढ़िया चीजों उत्पादित होती हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के आभाव में वहां का किसान इसका बेनिफिट नहीं ले पाता था। आज उनको भी 'पीएम कृषि उड़ान योजना' का लाभ मिल रहा है।
2. रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद भी हमारे कृषि क्षेत्र में समस्याएं हैं। कोई इससे तो मना नहीं कर सकता कि समस्याएं नहीं हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान हम सब को मिल कर करना होगा और मै मानता हूँ कि अब समय ज्यादा इंतजार नहीं करेगा।
3. इतना ही नही, एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। हम इस सदन की पवित्रता समझें। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को रास्ते में राशन दिया जाता है, वह भी कंटिन्यू रहेगा, इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़ें, क्योंकि देश ने हमको एक विशिष्ट जिम्मेदारी दी है।

हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं - श्रमजीवी, बुद्धिजीवी - इन सभी शब्दों से परिचित हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वह है आंदोलनजीवी। आप देखेंगे कि चाहे वकीलों का आंदोलन है, वे वहां नज़र आएंगे, स्टूडेंट्स का आंदोलन है, वे वहां नज़र आएंगे, मजदूरों का आंदोलन है, वे वहां नज़र आएंगे कभी परदे के पीछे, तो कभी परदे के आगे - एक पूरी टोली है, जो आंदोलनजीवी है। वे आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन के साथ जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं।हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा, जो सब जगह पहुंचकर बड़ा ऑडियों लॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए-नए तरीके बता देते हैं। देश को आंदोलनजीवी लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि यही उनकी ताकत है। उनका तरीका यह हैकि वे खुद तो चीजों को खड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे का कुछ चल रहा हो, तो वहां जाकर बैठ जाते हैं। जितने दिन आंदोलन चले, वहां उनका काम चल जाता है। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी, परजीवी होते हैं और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए भी होगा, क्योंकि आप जहां-जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी, आंदोलनजीवियों का अनुभव होता होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलनकारियों को परजीवी बोलकर न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में किरकिरी कराई। ▪

मो.- 7531989343

बस्तर की तुपकी

बस्तर में बंदूक को 'तुपक' कहा जाता है। 'तुपक' शब्द से ही 'तुपकी' शब्द बना है। यहां रथयात्रा गोंचा पर्व के दौरान बच्चे, युवक-युवतियाँ, रंग-बिरंगी तुपकी लेकर अपने-अपने निशाने की फिराक में रथ के चारों ओर मंडराते रहते हैं। पूरे नगर में हजारों की संख्या में अंचल के आदिवासी तथा गैर आदिवासी, श्रद्धालु जुटते हैं, जिससे नगर में मेले सा माहौल बना रहता है। बस्तर का गोंचा पर्व किसी एक समुदाय का नहीं वरन् बस्तर में निवास कर रहे विभिन्न धर्म एवं जातियों के लोगों का पर्व है।

▪ *दीप्ति ओगरे*

जगदलपुर में 'गोंचा पर्व' में तुपकी चलाने की एक अलग ही परंपरा दृष्टिगोचर होती है, जो कि गोंचा का मुख्य आकर्षण है। तुपकी चलाने की परंपरा, बस्तर को छोड़कर पूरे भारत में अन्यत्र कहीं भी नहीं होती। दीवाली के पटाके की तरह तुपकी की गोलियों से सारा शहर गूँज उठता है। यह बंदूक रूपी तुपकी पोले बांस की नली से बनायी जाती है, जिसे ग्रामीण अंचल के आदिवासी तैयार करते हैं। इस तुपकी को तैयार करने के लिए, ग्रामीण गोंचा पर्व के पहले ही जुट जाते हैं तथा तरह-तरह की तुपकियों का निर्माण अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर करते हैं। इन तुपकियों में आधुनिकता भी समाहित होती है। ताड़ी के पत्तों, बांस की खपच्ची, छिंद के पत्ते, कागज, रंग-बिरंगी पन्नियों के साथ तुपकियों में लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए उसे बंदूक का रूप देते हैं। आदिवासी अपने साथ लायी तुपकियों में से एक अपने लिए रखकर शेष शहरी लोगों को बेच देते हैं, इससे उन्हें कुछ आर्थिक लाभ भी हो जाता है। इस अवसर पर आदिवासी महिलाएं तुपकी के लिए पेंग

के गुच्छे बेचती नजर आती हैं।

पेंग या पेंगु, एक जंगली लता का फल जो मटर के दाने के समान ठोस छर्रानुमा होता है, की गोलियां नली के पीछे से बांस की बनी छड़ से दबाई जाती है। तुपकी के गोली का रेंज 15 से 20 फीट तक होता है। इसकी भरपूर मार इतनी जबरदस्त होती है कि एक बार सही निशाने पर लग जाए तो मीठा-मीठा दर्द का आनंद ही कुछ और होता है, करीब से खाई हुई मार किसी भी व्यक्ति को तिलमिला देने को काफी होता है। एक मान्यता के अनुसार रियासत कालीन गोंचा पर्व में विग्रहों को सलामी देने की एक प्रथा थी जिसके स्थान पर बस्तर अंचल के ग्रामीणों ने इस तुपकी का अविष्कार कर उस प्रथा को आज भी कायम रखा है। बस्तरिया लोकमान्यता के अनुसार गोंचा स्थल में तुपकी की मार, शरीर पर अवश्य पढ़नी चाहिए जिससे शारीरिक व्याधि स्वयं समाप्त हो जाए। ▪

मो.- 9527120550

क्या हर गोलियों पर लिखा है नक्सलियों का नाम?

बस्तर के सिलगेर में आदिवासी हत्या का मामला

▪ *रमेश ठाकुर*

विगत दिनों बस्तर संभाग के सुकमा जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिलगेर में पुलिस फोर्स ने जो घटिया हरकत किया है वह सरकार व कारपोरेटरों के द्वारा लिखे गए पूर्व नियोजकस्क्रिप्ट का परिणाम है, जहां बीते 17 मई को लगभग पाँच हजार निहत्थे आदिवासियों द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था वहां पुलिस ने अंधाधुंध गोलीचला कर तीन निर्दोष और निहत्थे आदिवासियों की हत्या कर दी। तीनों आदिवासियों की लाश को पुलिस द्वारा ले जाकर उन्हें मुठभेड़ में मारे गए नक्सली बताया जा रहा है जो कि सरासर झूठ है।

दरअसल मामला सिलगेर के जंगलों के भीतर पुलिस फोर्स द्वारा पुलिस कैंप स्थापित किए जाने के विरोध का है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बिना किसी अपेक्षा के तथा बिना किसी सहमती व अनुसूचित क्षेत्र के संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण किए सिलगेरके जंगल में बहुत बड़ा पुलिस कैंप स्थापित किया गया है। जिसकी गाँव वालों के अनुसार जनहित में कोई आवश्यकता ही नहीं थी। सिलगेर के आसपास के लगभग 45-50 गांवों को आदिवासियों की ग्राम सभा से बिना कोई अनुमति लिए सरकार द्वारा संविधान की 5वीं अनुसूची, पेशा कानून का घोर उल्लंघन करके कार्पोरेटों के हितार्थ में वहाँ पर पुलिस कैंप स्थापित किया जा रहा है। यह पुलिस कैंप अंचलवासियों के लिए सीधे-सीधे मौत व परेशानियों का सबब है क्योंकि यह पुलिस आदिवासियों के जितने करीब होते गए हैं वहाँ-वहाँ आदिवासियों की तबाही का भयानक नजारा दिखाई दिया है। इसलिए उक्त क्षेत्र के हजारों आदिवासी जन अपने क्षेत्र में जहाँ 5वीं अनुसूची लागू है, अवैध रूप से पुलिस कैंप की स्थापना का विरोध कर रहे थे जोकि संवैधानिक रूप से जायज है।

सुकमा के सिलगेर में पुलिस कैंप के निर्माण की भनक लगते ही 45-50 गांवों के आदिवासियों ने मिलकर इसका या शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने सहमत हुए और बीते 13 मई को करीब 5-6 हजार आम आदिवासी महिला पुरुष युवा वृद्ध बच्चे सिलगेर के निर्माणाधीन पुलिस फोर्स के कैंप के सामने पूरे रोड में एकत्र हो गये। उक्त कैंप में पहले से ही सैकड़ों की संख्या में फोर्स के जवान हथियार लिए तैनात थे और अपनी निगरानी में उक्त कैंप का निर्माण करवा रहे थे। इसी बीच बीते 14 मई की सुबह से ही 5-6 हजार आदिवासीजन कैंप के सामने एकत्र होना शुरू कर दिया और उक्त कैंप के निर्माण को रोकने का आग्रह करते हुए उसका शांतिपूर्ण विरोध करने लगे।

पूरे 3 दिनों तक 45-50 गाँव के8 हजारों निहत्थे आदिवासी उक्त कैंप के निर्माण को गैर असंवैधानिक बताते हुए विरोध करते रहे लेकिन शासन ने उनकी जायज मांगों को ढिठाई के साथ अनसुना करते हुए आदिवासियों को उकसाने का प्रयास जानबूझकर किया गया। आदिवासियों के द्वारा स्पष्ट बताया गया कि वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के तहत उक्त भूमि आदिवासियों की सामुदायिक वन संसाधन व सामुदायिक अधिकार में है अतः उक्त भूमि को सरकार द्वारा हमारी इजाजत के बगैर अधिगृहित नहीं किया जा सकता अतः उक्त कैंप कानूनन अवैध है। फिर भी पुलिस प्रशासन व सरकार के संबंधित नेताओं को यह बात समझ में नहीं आई। समझ आती भी कैसे? वह तो पूंजीवादी उद्योगपतियों के इशारे पर काम जो कर रहे हैं। आदिवासियों द्वारा किए

जा रहे उस जगह में विरोध प्रदर्शन की एक वीडियो से स्पष्ट है कि कैंप के सामने की सड़क पर हजारों की संख्या में आदिवासी महिला पुरुष एकत्रित होकर शांतिपूर्वक ढंग से विरोध कर रहे हैं। इनमें से कुछ के हाथों में लाठी है जो कि आदिवासियों के पास स्वभाविक रूप से रहता ही है। वीडियो में सैकड़ों की संख्या में पुलिस जवान भी दिखाई दे रहे हैं। अचानक गोलियां चलने की आवाज आने लगती है। आदिवासियों की भीड़ में अफरा-तफरी मच जाती है। लगभग 40 से 50 गोलियों के चलने की आवाज वीडियो में आर ही है।

प्रत्यक्षदर्शी आदिवासियों के अनुसार पुलिस फोर्स की ओरसे एकाएक फायरिंग शुरू कर दी गई जिसके परिणाम में 3 लोगों की मौतें हुई है। तीन शव पुलिस द्वारा उठाकर ले जाया गया है। लगभग 18 आदिवासी घायल हुए हैं। जिनमें से 10 लोगों का इलाज बासागुड़ा में किया जा रहा है और चार अन्य गंभीर लोगों को बीजापुर भेजा गया है। उक्त पुलिस फायरिंग में इतने लोगों कीमौत होने पर अंचल में सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश के बाद प्रशासन को लीपापोती करने के लिए पूर्व की तरह मनगढंत कहानी वह भी आधिकारिक रूप से तो देनी ही थी सो बस्तर आईजी सुंदरराज पी को सामने आना पड़ा।आईजी ने अपने बयान में बताया कि 12 मई को सिलगेर में सुरक्षा बलों का कैंप खोला गया था।

हालांकि किसकी सुरक्षा के लिए कैंप खोला गया था यह आईजी ने स्पष्ट नहीं बताया। उन्होंने आगे कहा कि इस कैंप का विरोध करने के लिए नक्सलियों ने ग्रामीणों को उकसाया जिसकी वजह से हजारों ग्रामीण 3-4 दिनों से इसका विरोध कर रहे थे। आईजी ने बताया कि 16 मई को शाम को ग्रामीणों को समझा कर वापस भेज दिया गया था। 17 मई को दोपहर अचानक फिर से कुछ लोगों ने आकर सिलगेर कैंप पर हमलाकर फायरिंग शुरू कर दिया और पत्थर और डंडे भी चलाए। बाद में फोर्स ने जवाबी कार्यवाही की तो कुछ देर बाद हमलावर भाग खड़े हुए। आईजी के बयान के अनुसार बाद में सचिंग के दौरान तीन शव बरामद किए गए। पुलिस द्वारा मृतकों को कभी नक्सलियों का सहयोगी तो कभी नक्सली बताया जा रहा है। आईजी के अनुसार ग्रामीणों की उक्त भीड़ में नक्सली छिपे हुए थे और उन्होंने ही ग्रामीणों को कैंप के खिलाफ उकसाया था। अब सवाल, तो यहां पर यह पैदा होता है कि ग्रामीणों को उक्त कैंप के विरोध करने के लिए चाहे कोई भी भड़काऊ 6 हजार की संख्या में उपस्थित आदिवासियों का कैंप निर्माण का विरोध करना जायज है या नाजायज? आईजी साहब, आप 5-6 हजार आदिवासियों के उस अवैध व अनापेक्षित कैंप निर्माण की कार्यवाही को नक्सलियों द्वारा भड़काए जाने के परिणाम स्वरूप हुए विरोध का बहाना नहीं बना सकते। आपका यह तर्क बचकाना है। आप आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार का हनन करके कुछ पूंजीपतियों कीसुरक्षा हेतु तथा इसकी आड़ में आदिवासी जन विद्रोह को दबाने का असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं वह तो कथित नक्सलियों से भी ज्यादा खतरनाक काम कर रहे हैं।

उक्त कैंप ही असंवैधानिक है और आदिवासीजन समुदाय की भावना के विपरीत उनके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में बलात घुसपैठ करके आप स्वयं आतंकी कार्यवाही कर रहे हैं और आरोप कथित नक्सलियों पर मढ़ रहे हैं। यह निर्दोष आदिवासियों की हत्या को छुपाने का राजनैतिक षड्यंत्र है। आइजी के बयान के अनुसार रविवार शाम को ग्रामीणों को समझा कर वापस भेज दिया गया था यह अपने आप में सवाल खड़े करती है। क्या 5-6 हजार आदिवासीजन उनके शेड्यूल एरिया में बिना इजाजत के अवैध रूप से निर्माणाधीन पुलिस कैंप पर सहमत हो गए होंगे? जो पुलिस कैंप संपूर्ण आदिवासी जनजीवन उनकी सभ्यता व संस्कृति केविनाश का कारण साबित हो चुकी हो उस कैंप की स्थापना को 5-6 हजार आदिवासी फिर स्वीकार कर लिए होंगे?

आदिवासियों को फिर पुलिस सुरक्षा की रत्ती भर भी जरूरत ना हो और ऐसी किसी सुरक्षा की मांग भी शासन से ना की गई होउस अनावश्यक पुलिस कैंप के निर्माण हेतु 5-6 हजार आदिवासी खुशी-खुशी राजी हो गए होंगे? जिस पुलिस फोर्स द्वारा अतीत में हजारों निर्दोष आदिवासियों की बहू बेटियों का बलात्कार व हत्याएं की हो, उनके हजारों निर्दोष परिजनों की हत्या करके नक्सली बताया गया हो, सैकड़ों लोगों को झूठे आरोप में जेल में डाल कर उनका तथा उनके परिवार की जिंदगी नर्क बना दिया हो क्या उस कैंप की स्थापना के लिए 5 से 6 हजार आदिवासी सहज रूप से मान गए होंगे? और वेसभी सहमत होकर रविवार शाम को अपने अपने घरों में लौट गए होंगे?

चूंकि यह क्षेत्र बहुमूल्य प्राकृतिक खजानों से समृद्ध है तथा इस धरती के संसाधनों को बचाने के लिए करोड़ों आदिवासीजन जागरूक हो चुके हैं और इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पूंजीवाद विरोधी आंदोलन प्रखर रूप से संचालित है। इसी क्षेत्र से सरकार की संविधान विरोधी प्रत्येक नीतियों का प्रबल विरोध होता रहा है अतः भविष्य में पूंजीपतियों की लूट को संरक्षण देने के लिए यह पुलिस कैंप का निर्माण किया जा रहा है अतः इस अवैध निर्माण से अंचल के आदिवासीजन कभी सहमत नहीं हो सकते अतः आईजी द्वारा समझा कर ग्रामीणों को भेजा गया था यह कथन असत्य है।

आईजी का यह कथन भी पूर्णरूपेण असत्य है कि उक्त आंदोलन के लिए नक्सलियों ने बरगलाया था या नक्सलियों ने आकर फायरिंग की थी। सरकार के आदेश पर उक्त अवैध कैंप का निर्माण किया जा रहा था और इसे सफल बनाने का पूरा दायित्व पुलिस फोर्स की थी अतः इस पर किसी तरह का व्यवधान पुलिस प्रशासन की नाक का सवाल था इसलिए पुलिस फोर्स द्वारा 5-6 हजार निहत्थे आदिवासियों के जमावड़े को हटाना उनके लिए जरूरी हो गया था। अतः अंधाधुंध फायरिंग करना और उसे नक्सली हमले का प्रतिकार बताना ही एकमात्र विकल्प रह गया था। वास्तव में सिलगेर में उपस्थित 5 से 6 हजार आदिवासियों पर पुलिस फोर्स द्वारा अचानक फायरिंग की गई थी जिसके परिणाम में 3 लोगों की मृत्यु हुई तथा 18 लोग घायल हो गए। पुलिस द्वारा तीन मृतकों को साथ ले जाकर पुलिस नक्सली मुठभेड़ के सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है जो कि बेहद प्रवंचना पूर्ण दावा है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके पास 3 शव मौजूद हैं। 3 शव पुलिस के पास है जिसे पुलिस नक्सली बता रही है। पुलिस यह दावा करती है कि उनकी गोली से केवल नक्सली ही मारे जाते हैं तो फिर ग्रामीणों के पास जो शव है वह कौन थे और जो 18 लोग घायल हुए हैं वह लोग कौन हैं? पुलिस इसकी भी व्याख्या कर दे तो ठीक रहेगा। पुलिस यह दावा करती है कि उनकी गोली से केवल नक्सली ही मारे जाते हैं तो फिर ग्रामीणों के पास जो शव है। वह कौन थे और जो 18 लोग घायल हुए हैं वह लोग कौन हैं? पुलिस इसकी भी व्याख्या कर दे तो ठीक रहेगा। पुलिस फोर्स द्वारा प्रशासन के निर्देश पर उक्त सिल हत्याकांड पर पूरे छत्तीसगढ़ में बेहद आक्रोश उभर गया है और छत्तीसगढ़ सरकार की कथनी और करनी का विरोधाभास स्पष्ट हो चुका है। अब इस हत्याकांड की जाँच छत्तीसगढ़ सरकार से इधर कोई निष्पक्ष संस्था के द्वारा किया जाना चाहिए। एक जांच कमेटी बनाई जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता व कुछ विद्वान पत्रकार शामिल हो और इस मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। इस जांच दल को यह भी जिम्मेदारी दी जाएगी कि उक्त पुलिस कैंप की स्थापना संविधान के अनुरूप है या नहीं। दोषी पाए जाने वाले तमाम लोगों को चाहे वे राजनेता हों या प्रशासनिक अफसर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए साथ ही मृतक परिवार के सदस्यों को 25 लाख रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को शासकीय नौकरी दिया जाए। घायलों का निःशुल्क इलाज और उन्हें 10 लाख रुपए हर्जाना दिया जाए। ■

मो.- 9424125724

पढ़ाई लिखाई का नया अंदाज

▪ अरविंद कुमार यादव

सामान्य से दिखने वाले बच्चे जब आप के आने पर हेल्लो सर गुड इवनिंग और जाने पर गुड नाईट सर बोलकर जाएं तो आश्चर्य होगा। किसी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तो यह सामान्य सी बात है लेकिन जब शहरों की बस्तियों और झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे ऐसा कहें तो बड़ी बात है। इस प्रकार की पाठशाला का संचालन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के डीडी नगर के रायपुरा यादव मोहल्ला में हो रहा है। जहाँ ऐसे परिवेश के बच्चे और बच्चियां पड़ते है जिनके परिवार वाले मजदूर हैं। पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और माएं दूसरों के घरों में सुबह काम पर जाती हैं।

आसान नहीं था इन बच्चों को इकट्ठा करना

पाठशाला का संचालन कर रहे डॉ. आर. के. सुखदेवे कहते हैं कि सब वंचितों के बच्चे हैं। पिता अनियमित मजदूरी करते हैं। पाँचवीं पास हो गये हैं, लेकिन अपना नाम नहीं लिख सकते, इनको पाठशाला तक ले आना ये चुनौतीपूर्ण कार्य था। मैं इन बच्चों के अभिभावकों से मिला, बात की। फिर भी राजी नहीं हुए फिर मैंने उन्हें सपनें दिखाए कि तुम्हारे बच्चे अच्छे-अच्छे कपड़ो में बड़ी-बड़ी गाड़ियों से चलें या फिर दूसरों के घरों में मजदूरी करें और काम करें। सभी जबाब न में था, फिर क्या था पाठशाला चल पड़ी। शुरुआत में कम बच्चे आए धीरे-धीरे पाठशाला की में छात्रों की संख्या 100 से ऊपर पहुंच गई, अभी पाठशाला में आने वाले छात्रों को संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

छात्रों को रोके रखना आसान नहीं था

डॉ. सुखदेवे बताते हैं कि पाठशाला में बच्चों की संख्या लगातार बनाये रखना चुनौती पूर्ण है। अधिकतर बच्चे किसी न किसी सरकारी विद्यालय में नामांकन कराए हुए हैं।बच्चे अपने स्कूल भी जाते हैं। पाठशाला का समय शाम को 5 बजे से रखा गया, जिससे की बच्चो को खेल कूद का भी पर्याप्त समय मिल सके। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती पाठ्यक्रम को मनोरंजक बनाने की थी और खेल खेल में ही बच्चों को वो सब कुछ सिखा दिया जाए जो हम सिखाना चाहते हैं। इस काम के लिए हमें बेहतरीन लोगों की तलाश थी। हमें विभिन्न समाजसेवी प्रवृत्ति के नए अनुप्रयोग करने वाले मित्रों का सहयोग मिला। पाठशाला के लिए बेहतरीन शिक्षक भी मिल गए जिसमें

नौकरशाह से लेकर पीएचडी किए हुए लोग शामिल हैं। तीन स्थानीय युवक और युवतियां भी सामने आए जो इंजीनियरिंग, एमबीए और आर्ट ग्रेजुएट हैं। पाठशाला में दो महिलाएं और चार पुरुष बच्चों की शिक्षा देते हैं।

पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधा

पठन-पठन की प्रक्रिया को दो तरफा बनाना-

इस पाठशाला के लिए कोई नया पाठ्यक्रम नहीं बनाया गया, बल्कि बच्चों के स्कूलों में जो पाठ्यक्रम चल रह है, उसी को पढ़ाया जा रहा है, बस पढ़ाने का तरीका बदल दिया गया है। पठन-पठन प्रक्रिया में बच्चों को भी शामिल किया जाता है, जैसे कि यदि बच्चों को पहाड़ा सिखाना है तो उन्हीं बच्चों में से ही किसी एक बच्चे को सामने आकर पहाड़ा बोलकर अन्य बच्चों को दुहराव के लिए बोला जाता है, जो बच्चा सामने होता है वो कोई ऐसी रचनात्मक क्रिया भी कर रहा होता होता है जिसका कि अन्य बच्चे अनुशरण करें। उदाहरण स्वरुप सामने वाला बच्चा जो शिक्षक की भूमिका में है पड़ते समय कूदता है। अन्य बच्चे उसको अनुशरण करते हैं, उन्हें उस समय कूदने को कहा जाता है जब की शिक्षक बच्चे के पैर जमीन पर पड़ जाएँ ऐसा करने से अन्य बच्चों का ध्यान सामने वाले बच्चे पर ही होता है। वे उसकी आवाज और क्रिया के परिणाम स्वरुप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इससे बच्चों में ध्यान का भटकाव कम से कम होता है। साथ ही साथ सामने वाले बच्चा भी सहज महसूस करता है और सिखने की इस क्रिया का आनंद लेता है। उसमे नेतृत्व क्षमता का विकास और उसका आत्मबल बढ़ता है। इस प्रक्रिया में सभी बच्चों को सामान रूप से अवसर दिया जाता है, उन्हें उसी गिनती का पहाड़ा बोलने को कहा जाता है जो उन्हें पता है और जिसे वह सहजता से पढ़ा सकते हैं।साथ ही साथ बच्चों को तेज आवाज में दोहराव करवाया जाता है जिससे जो बच्चा पठन-पठन में भाग नहीं ले रहा हो उसका अवांक्षित शोर दब जाए और वह भी पठन-पठन की इस प्रक्रिया में शामिल हो जाए।

शिक्षा के साथ-साथ सपने भी देना-

इसके साथ ही साथ कक्षा में शिक्षक ऐसे उदहारण और व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करते है बच्चों की उसके प्रति जिज्ञासा बढ़े, यदि बात-चीत के दौरान पहाड़ (पर्वत) का जिक्र आता है तो बच्चों से ऐसा भी पूछ लिया जाता है उनमें से किसनें-किसनें पहाड़ देखा है। पहाड़ का चित्रण करते हुए उनके दिमाग में विषय वस्तु का खाका खींचने का प्रयास किया जाता है। व्यतिगत अनुभवों को साझा करने के पीछे ऐसा उद्देश्य होता है कि बच्चों को सपने भी दिए जाएं जो उनके लिए प्रेरणा श्रोत बनें।

पाठ्यक्रम से इतर अन्य रोचक जानकारियां -

बच्चों को उनके सेलेबस के आलावा अन्य सामान्य ज्ञान की चीजें बातों ही बातों में एक दूसरे से जोड़कर बता दी जाती है जो उन्हें कभी नहीं भूलेगी। डॉ. सुखदेवे कहते है कि इसे कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कि हमने कक्षा में किसी छात्रा से उसका नाम पूछा? उसने अपना नाम अलका बताया तो मैंने उसे यह बताया कि अलका याग्निक नाम की एक गायिका है और अलका याग्निक के बारे में उसे बता दिया। अब वे एक व्यक्तिव से परिचित हो गये। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भले ही कक्षा के अन्य छात्र-छात्राएं अलका याग्निक को भूल जाएं लेकिन अलका, अलका याग्निक को कभी नहीं भूलेंगी।

वैज्ञानिकता और तार्किकता का विकास-

वैज्ञानिकता और तर्कशीलता के लिए पाठशाला में अलग से कोई कक्षा नहीं चलती है बल्कि पड़ते-पढ़ाते बीच बीच में उन्हें जानकारियां दे दी जाती हैं। डॉ. सुखदेवे कहते है कि यदि बच्चों को कबीर के बारे में बताया जा रहा है तो कबीर के दोहों के बारे में भी बताया जायेगा, 'पत्थर पूजे हरि मिले तो मै पूजूं पहाड़'। अब इसी दौरान बच्चों के धार्मिक विश्वास को ठेस पहुंचाए बिना पत्थर पूजन के नफा नुकसान कबीर के दृष्टिकोण से बता दिया जायेगा। अब फैसला बच्चों को करना हैकि उन्हें पत्थर पूजना है की नही?

व्यक्तित्व विकास -

कक्षा समाप्ति के पश्चात भोजन का भी वितरण बच्चों द्वारा करवाया जाता है, यह देखा जाता है कि भोजन वितरण करने वाला कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, उसे समझाया जाता है की वह सभी को समानभाव से दें। इससे उसके अंदर न्यायिक और न्यायपूर्ण चरित्र का विकास होता है। सभी बच्चे लाईन में लग कर अपना-अपना भोजन लेते हैं कोई लाईन नहीं तोड़ता है। लाईन तोड़ने वाले को सबसे अन्त में भोजन दिया जाता है इससे उसके अंदर धैर्य और सहनशीलता का विकास होता है। ▪

कोरोना संकट एवं मानवता

▪ *बिनिका दुर्गम*

कोरोना संकट के इस दौर में मानवता जीतनी असहाय महसूस कर रहा है शायद ही कभी किया हो, लोग चाह कर भी एक दुसरे की मदद नहीं कर पा रहे है। विकसित, विकासशील और अल्पविकसित देशो में कोरोना का तांडव एक जैसा ही है लेकिन विकासशील और अल्प विकसित देशों में संसाधनों के आभाव में स्थियाँ और भी विकट है। दुनिया भर के कई देशों ने कोरोना संकट से उबरने के लिए इमानदार कोशिशें की और इस संकट से काफी हद तक निकलने में कामयाब भी रहे लेकिन जब कोरोना आपदा राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति का साधन बन जाय तो यह विकासशील और अल्पविकसित देशों को सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत पीछे धकेल देती है। धीरे धीरे इस बीमारी ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है, भारत जैसे देशों में स्वास्थ सुविधाओं के आभाव में बड़े पैमाने पर लोग मर भी रहे है, वैसे तो मरना और जीना एक प्राकृतिक घटना है लेकिन इस प्रकार से मरना प्रकृति के नियमों का उलंघन है। प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप है यह चाहे किसी भी स्वार्थ को लेकर हो सामाजिक , आर्थिक या फिर राजनैतिक स्वार्थ। ये सभी आपस में जटिल रूप से जुडी हुए हैं।

भारत में कोरोना कई स्वार्थों को साधने का साधन ही रहा। कोरोना के नाम पर कई येसे कार्य सम्पादित किये गये जिनका आम दिनों में होना चुनौतीपूर्ण था। न कहीं किसी प्रकार का हो हल्ला मचा, न कोई प्रतिरोध। कोरोना से उपजी अवस्था का लाभ उठाया गया। कोरोना आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया गया।

कोरोना आया है तो जायेगा भी लेकिन सामाजिक क्षेत्र में कोरोना के जो दूरगामी प्रभाव पड़ेगें उसका आकलन बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। भारत जैसे जटिल जातीय संरचना वाले देश में देश की बहुसंख्यक बहुजन जनसँख्या के चलते बहुत पीछे चली गई। कोरोना अपने साथ बहुत सी भ्रांतियां भी लेकर आया है, कोरोना के कारण शिक्षा से वंचित हो रहा युवा तार्किक चिंतन से विमुख हो जायेगा, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति वह जागरूक नहीं होगा वह इकाई के रूम में एक व्यक्ति तो होगा लेकिन उसका व्यक्तिव नहीं होगा। प्रश्न उठता है कि कोरोना से पूर्ण सिस्टम प्रभावित हुआ तो बहुजनों की ही बात क्यों? ऐसा इस लिए कि कोरोना से उपजने वाले दुश्चक्र को तोड़ने के लिए बहुजनों के पास आवश्यक संसाधन नहीं है जबकि समाज के सवर्ण तबके के पास संसाधन की बहुलता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अचल संपत्ति के रूप में उनके पास चली आ रही है। कोरोना के कारण हुए लाक डाउन में बड़े पैमाने पर श्रमिको का पलायन औधोगिक क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर हुआ, उनकी जमी जमाई गृहस्थी उजाड़ गई। शहरी परिवेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे उनके बच्चों की शिक्षा भयानक रूप से प्रभावित हुई, एक बार उजाड़ चुकी गृहस्थी को फिर से बसा पाना उन्हके लिए बहुत ही दुष्कर कार्य है। लाक डाउन के दौरान बहुत ही जोर शोर से आनलाईन शिक्षा का प्रचार-प्रसार हुआ, जिसके लिए कम-से-कम एक मल्टीमीडिया मोबाइल सेट और नेटवर्क होना अनिवार्य है। यदि किसी घर में एक से अधिक बच्चे है हैं तो उतने ही इन्टरनेट युक्त मोबाईल होना चाहिए। मोबाईल और डाटा के लिए अभिभावक को एक मुश्त मिनिमम निवेश करना ही होगा। इसके आलावा आनलाईन शिक्षा से बच्चे के सामाजिक दायरे का विकास नहीं हो पायेगा।

आपदा में 40 भारतीय अरबपति बने

कोरोना काल में वर्ष 2020 के दौरान भारत में 40 उद्यमी अरबपतियों की सूची में जुड़ गये। इन्हें मिलाकर भारत के कुल 177 लोग अरबपतियों की सूची में शामिल हो गये। हुरुन ग्लोबल रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में रही भारत में 40 लोग अरबपतियों की सूची में पहुंच गये। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी लगातार सबसे अमीर भारतीय बने हुये हैं। उनकी संपत्ति 24 प्रतिशत बढ़कर 83 अरब डालर पर पहुंच गई। दुनिया के अरबपतियों की सूची में वह एक पायदान

चढ़कर आठवें नंबर पर पहुंच गये। गुजरात के उद्योगपति गौतम अडाणी की संपत्ति में भी अच्छा इजाफा हुआ है। वर्ष 2020 में उनकी संपत्ति 32 अरब डालर तक पहुंच गई और दुनिया के अमीरों की सूची में उनका स्थान 20 पायदान चढ़कर 48 नंबर पर पहुंच गया। मुकेश अंबानी के बाद वह दूसरे सबसे अमीर भारतीय बन गये हैं। उनके भाई विनोद की संपत्ति 128 प्रतिशत बढ़कर 9.8 अरब डालर हो गई। आईटी कंपनी एचसीएल के शिव नाडर भारत के अरबपतियों की सूची में 27अरब डालर की संपत्ति के साथ तीसरे नंबर पर रहे। महिन्द्रा समूह के आनंद महिन्द्रा की संपत्ति में भी 100 प्रतिशत वृद्धि हुई है और यह 2.4 अरब डालर हो गई। बॉयकोन की किरण मजूमदार की संपत्ति 41 प्रतिशत बढ़कर 4.8 अरब डालर हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक साफ्टवेयर कंपनी जैडक्लेर के जय चौधरी की संपत्ति इस दौरान 274 प्रतिशत बढ़कर 13 अरब डालर हो गई जबकि बायजू के रविन्द्रन और परिवार की संपत्ति 100 प्रतिशत बढ़कर 2.8 अरब डालर पर पहुंच गई। ▪

कोरोना ने बढ़ाया डिप्रेशन

▪ *बिनिका दुर्गम*

डप्रेशन (अवसाद) एक मानसिक बीमारी,जो अपने आप भी ठीक हो सकता है या मनोचिकित्सक की सलाह की जरूरत की पड़ सकती है, लंबे समय टीके डिप्रेशन में रहने वाले इंसानों में डिप्रेशन खतरनाक साबित होता है, वो अपने आपको समाज से अलग कर लेते है, उनमें चिड़चिड़ापन, नींद का नहीं आना, खान-पान में बदलाव,व्यवहार में बदलाव और उसके बाद आत्महत्या जैसे कदम, लेने को दखता है। डिप्रेशन का उपचार संभव है, असंभव नहीं।

जहां एक तरह कोरोना काल में लोगो में महामारी के प्रति डर समाया हुआ है, वहीं धीरे- धीरे डिप्रेशन का भी रूप लेने लगा है।

वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 7.5 प्रतिशत प्रतिशत भारतीय मानसिक तौर से डिप्रेशन के शिकार हुए, जिनकी संख्या 2021 तक 20 प्रतिशत प्रतिशत, मतलब 56 लाख से ज्यादा लोग डिप्रेशन जैसी बीमारी से ग्रसित होने वाले है। युवाओं मे जिनकी उम्र 13-19 के बीच होती है उनमें 9.8 लाख के आस पास लोग डिप्रेशन में होते है, समय पर सही उपचार न मिलने पर अत्महत्या जैसे घातक भी कदम उठाते है।

कोरोना काल में लगे लाकडाउन में, घर के कमाऊ व्यक्ति की नौकरी चले जाना, मृत्यु हो जाना, आर्थिक का गड़बड़ा जाना, जिसकी वजह से महिलाओं पर काफी अत्याचार भी बढ़े और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं पर काम का भार भी बढ़ गया। जिसकी वजह से महिलाओं में डिप्रेशन काफी देखने मिला है।

एक रिपोर्ट के अनुसार 61 प्रतिशत भारतीय मानसिक रूप से बीमार है। 2019 के पहले डिप्रेशन के लक्षणों में अत्याचार, बॉडी शमिंग, रोजगार की समस्या,दहेज प्रताड्ना इत्यादि जैसी चीजें शामिल थी, पर 2019 के बाद कोरोना काल में लगे नियमों की वजह से कोरोना की डिप्रेशन का कारण बन गया है। परिवार के सदस्य या मित्रोंका अचानक कोरोना से चले जाना, घर के कमाने वाले की मृत्यु हो जाना, लाकडाउन में घर में होने वाले अत्याचारों इत्यादि ।

काफी खबरे भी सुनने मिलती है डिप्रेशन की वजह से लोग सीधा अत्महत्या जैसे घातक कदम उठा रहे है, मध्य प्रदेश में दो बहनों ने माँ की कोरोना से मरने के बाद अपने आपको मार डाला, महाराष्ट्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के कोरोना से मरने के एक साल बाद अपनी छह साल की मासूम को मारकर मरना ठीक समझा। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ पढ़ने को मिलते है जहां हर तीसरा मनुष्य डिप्रेशन में रहते हुए अगला कदम अत्महत्या का ही सोंचता है।

भारत में आज भी एक धारणा बनी हुई है, कि अगर कोई मनोचिकित्सक के पास इलाज के चला जाए तो लोग उसे अजीब सी निगाहों से देखते है, पागल करार दे देते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 0.75 मनोचिकित्सक मौजूद है जो यहाँ दर्शाती है कि आज भी मानसिक बीमारी के बारे में लोग बात करने से घबराते है, वह भी इसलिए कि समाज क्या सोंचेगा। यदि इसका कारण ढूढें तो पता चलता है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडू ऐसे राज्य है जहां से बड़ी संख्या में मनोचिकित्सक निकलते है। जबकि ऐसे भी राज्य हैं छत्तीसगढ़, मेघालय, नागालैंड, अरुणांचल प्रदेश और मिजोरम जहां मनोचिकित्सा के लिए एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो मनोचिकित्सक की पढ़ाई करवाए और युवा को प्रेरित करें।

भारत में आज भी डिप्रेशन को एक बीमारी की तरह नहीं देखा जाता, जबकि वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशनने इसे डिस्बेलिटी (अक्षमता) की क्षेणी में रखा है। इसे आज भी न समझना, जानकारी न रखना आत्मघाती है।

मो.- 7389081201

बसावन इंडिया हिंदी मासिक पत्रिका का *संचालन सहकारिता के आधार पर किया जा रहा है। पत्रिका को आकर्षक और गुणवत्तापूर्ण बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। संपादक मंडल की हर संभव कोशिश है कि खबरों को निष्पक्ष और तथ्यपूर्ण तरीके से पाठकों तक पहुँचाया जाए। यदि फिर भी कहीं कोई कमी रह जाति है तो हम अपने सम्मानित पाठकों से आशा करते हैं कि वे हमारा ध्यानाकर्षण करेंगें। साथ ही आप अपके लेख और विचार basavanindia@gmail.com पर स्वागत करतें हैं। बसावन इंडिया की कोशिश होगी कि वह आपके लेख और विचार संपादन के बाद प्रकाशित करे। यदि जगह के आभाव और मुद्दों के प्राथमिकता में आपके विचार और लेख छूट जाते हैं तो उसे अगले अंक में लेनें की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आपकी रतिक्रिया का हमे इंतजार रहेगा।*

सूख गया हूँ...

कभी हरा भरा था,
लहलता हुआ,
पत्ते, फूल, कलियां, फल लदे रहते थे,
ये सब कुछ दिया
और अलावा भी बहुत कुछ,
दी तुम्हें ताजी हवाएं,
ली उन हवाओं को
जो तुम्हारे लिए थी खतरनाक,
तपती धूप से राहत दी,
अपने छांव में बिठाया,
आराम करवाया,
अब सूखने के बाद भी ले लो मुझे
करो अपने तमाम काम
बनाओ फर्नीचर, दरवाजे, खिड़की
जिस तरह से चाहो
करो इस्तेमाल
ऐसा करने में मुझे बेहद खुशी है
क्योंकि हो तुम इस दुनियां में
सबसे निराले व उम्दा,
तुममें है दया, मोहब्बत, सब्र, भलाई
और भी तमाम चीजें,
ऐसा ही तुम्हारे बारे में
बतलाया गया,
सुनाया गया,
ताकि इन सब खूबियों से
दुनियां में,
दुनियां की सलामती कर पाओ
मगर ये क्या
तुम कितने बदल गए हो,
बदल लिए हो
खुद को,
तुम्हें दिखती है अपनी खुशी
सिर्फ अपनी खुशियों की खातिर
कितने को दुख दे रहे हो,
सब कुछ तहस नहस कर डाले,
मचा रखी है मार काट,
फैला रखी है तबाही ही तबाही
क्या समझा इसे और
क्या निकला ये ....
दुनियां को आबाद करने का बीड़ा
उठाने वाला ही सबित हुआ
इसे बर्बाद करने वाला..

ब्रजेश यादव
9838853385

इंसानियत का पैगाम गैर इंसानियत के नाम

खुश हो,इतराते हो देख औरों के घर जलते हुए,उजड़ते हुए।
क्या कभी देखा है जलते घर की हवा का रुख बदलते हुए।
उसी हवा से आयी इक छोटी सी चिंगारी से क्या कभी देखा है
शीशे के मकाँ को पिघलते हुए।
ना खुश हो गिरा के बिजलियाँ किसी के आशियाने पे!
मैंने देखा है आसमाँ की बिजली से बस्तियाँ उजड़ते हुए।

शाकिर वसीउल्लाह
मोबाइल-7081178579

सामाजिक योद्धा रामकृष्ण जांगड़े

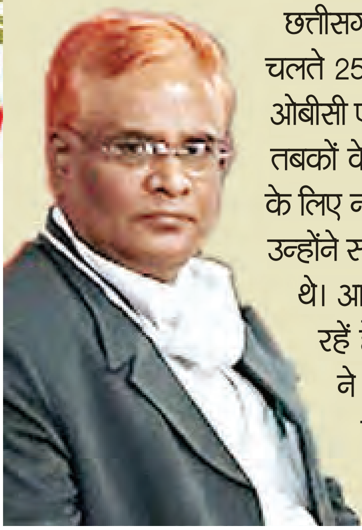

छत्तीसगढ़ सामाजिक कार्यकर्ता एवं चिंतक अधिवक्ता रामकृष्ण जांगड़े का कोविड के चलते 25 मार्च 2021 को निर्वाण हो गया। अधिवक्ता जांगड़े जी छत्तीसगढ़ एसटी, एससी, ओबीसी एवं माइनोटीरिस (संयुक्त -मोर्चा) के मुख्य संयोजक थे। जांगड़े जी लागातार वंचित तबकों के बुलंद आवाज थे। दलित, आदिवासी, पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों के हक अधिकार के लिए न सिर्फ सरकारी दफ्तरों या अदालतों में ही आवाज नहीं उठाई, बल्कि सड़क पर भी उन्होंने संघर्ष भी किया। जांगड़े लगातार पूरे देश में सामाजिक गतिविधियों को संचालित करते थे। आपके नेतृत्व में लगातार प्रदेश भर में विभिन्न सामाजिक आंदोलन व सेमिनार होते रहें हैं। 56 वर्षीय जांगड़े का कोविड19 से पीड़ित होने के चलते रायपुर एम्स में निधन ने छत्तीसगढ़ ही नहीं देश भर के सामाजिक आंदोलनों से जुड़े लोगों में शोक व्याप्त हो गया। आपके द्वारा किए गए सामाजिक आंदोलन एवं योगदान सदैव याद किए जाएंगे।

सांस्कृतिक नेता डॉ. मनराज शास्त्री

सामाजिक न्याय के सजग प्रहरी और बहुजन समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक नेता डॉ. मनराज शास्त्री का निधन वाराणसी जन्म 16 अप्रैल 2021 को हो गया। शास्त्री जी विद्यार्थी जीवन से सामाजिक विचारधारा को लेकर के बहुत सशक्त थे। वे चौधरी चरण जैसे किसान नेता के संपर्क में आए और उनके सिद्धांतों को इन्होंने अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। वे रामस्वरूप वर्मा और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के संपर्क में आए। इन सब के संपर्क में आने की वजह से आने की वजह से वह अर्जक संघ के प्रचारक के रूप में भी कार्य करने लगे तमाम शादी विवाह अर्जक पद्धति से उन्होंने संपन्न कराए। इसके साथ लंबे समय तक अखिल भारतीय यादव महासभा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रहे और समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया सेवा में निवृत्ति के उपरांत वह निरंतर शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगे रहे और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के खिलाफ अभियान में सहयोग करते रहें।

मिशनरी पत्रकारिता सजग प्रहरी अखिलेश कृष्ण मोहन

फर्क इंडिया के संपादक अखिलेश कृष्ण मोहन का 13 अप्रैल 2021 को लखनऊ में कोरोना से निधन हो गया। अखिलेश कृष्ण मोहन का इस तरह से छोड़कर चले जाना स्तब्धकारी रहा। अखिलेश कृष्ण मोहन पत्रकारिता जगत में नए नए मुहावरे गढ़ रहे थे। आज से पांच साल पहले 86 में 56 यादव एसडीएम की फर्जी खबरों का खंडन करने का दम अखिलेश कृष्ण मोहन में ही था। उन्होंने ने न केवल फर्क इंडिया मैगजीन का संपादन किया बल्कि फर्क इंडिया वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल और फर्क इंडिया नाम से दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। उन्होंने नया नजरिया नाम से लखनऊ दूरदर्शन पर एक सफल कार्यक्रम भी चलाया। उनके चले जाने से सामाजिक न्याय आंदोलन और आधुनिक हिंदी जगत की मिशनरी पत्रकारिता को गहरा धक्का लगा जिसकी भरपाई हो पाना मुश्किल है।

भरमा डढ़िया (आजमगढ़)

ग्रामसभा की जातीय भागीदारी

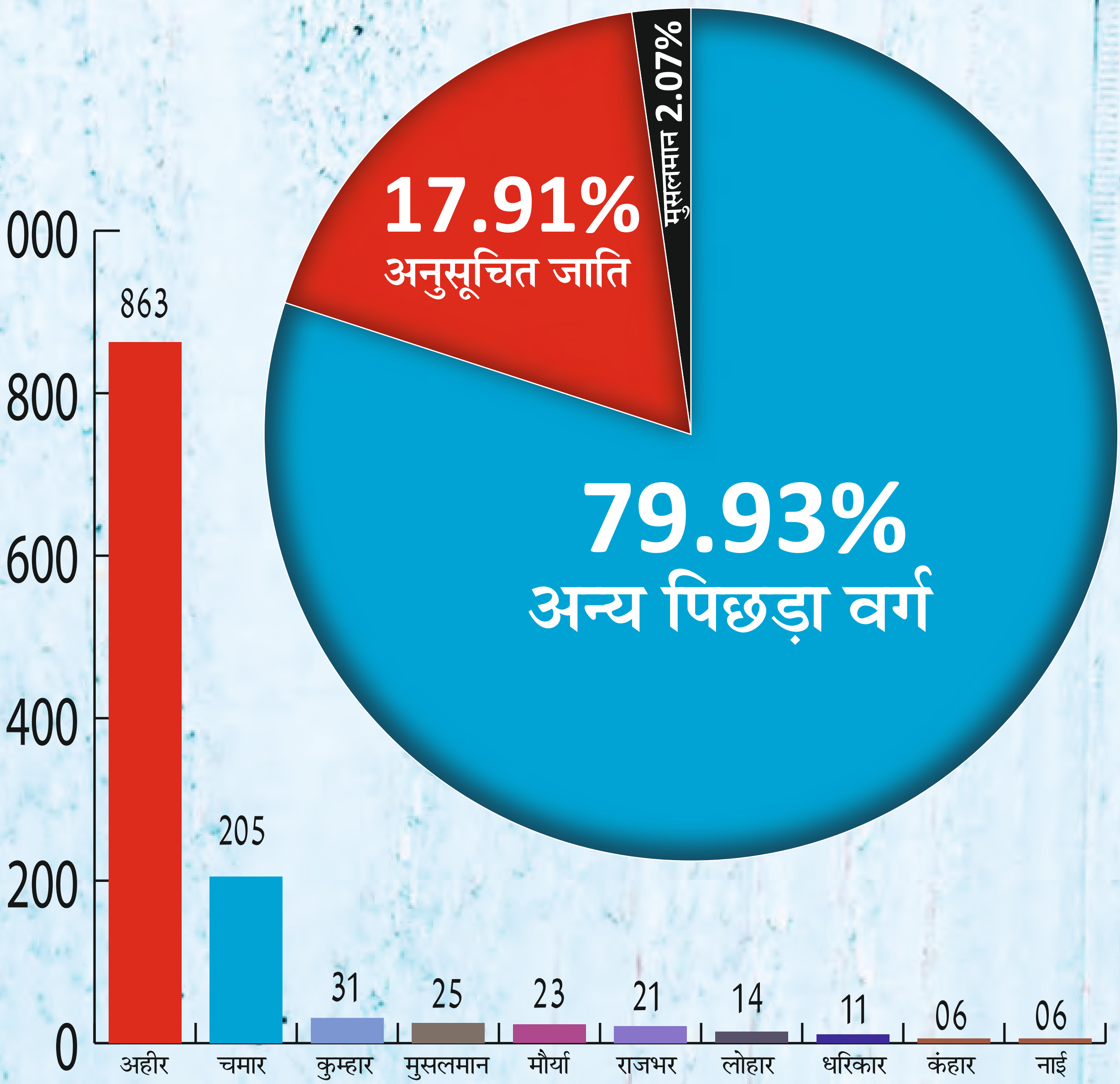

विस्तृत रिपोर्ट के लिए पृष्ठ संख्या 9 पर देखिए।

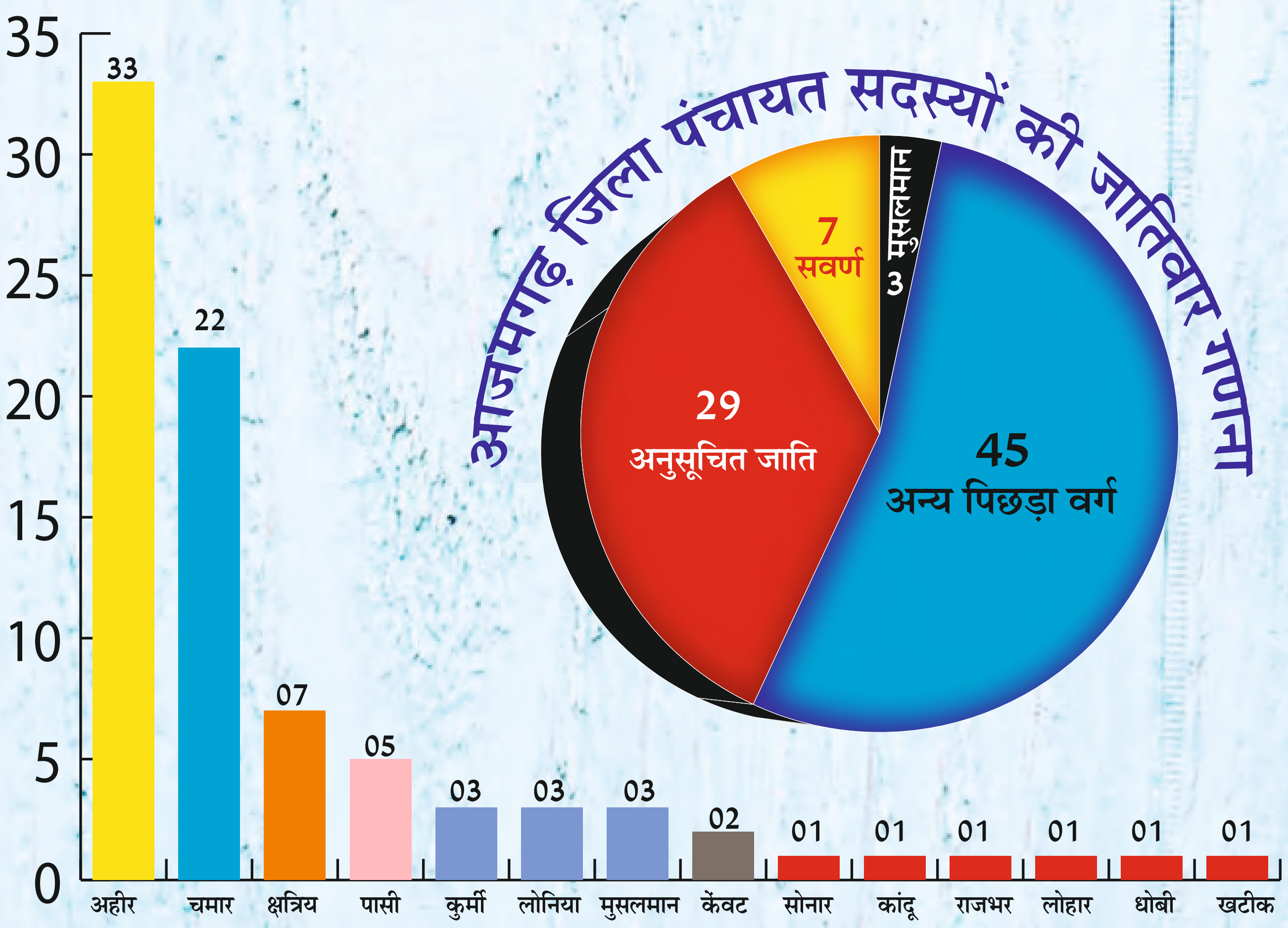

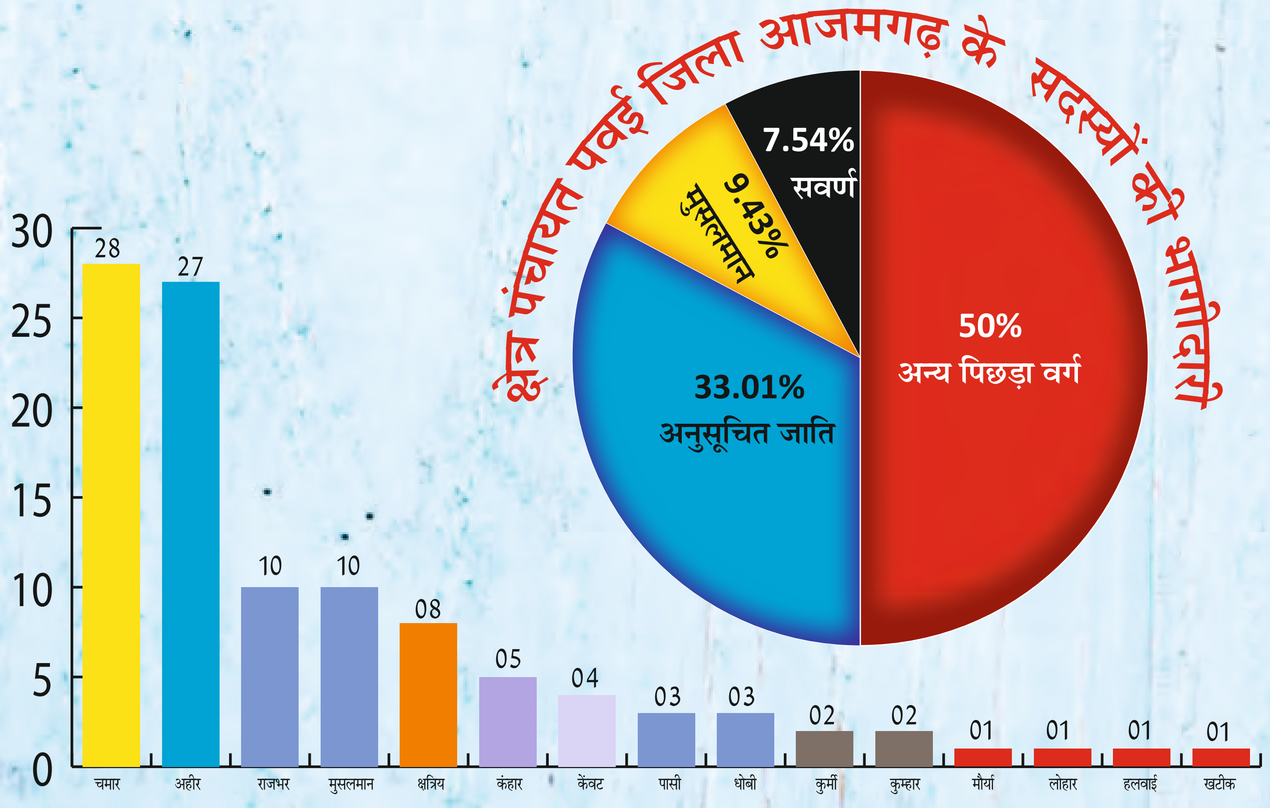

विस्तृत रिपोर्ट के लिए पृष्ठ संख्या 5 से 8 पर देखिए।